ड्राफ्ट

हरियाणा राज्य की कृषि नीति

किसान आयोग
हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य की कृषि नीति

1. प्रस्तावना

भारतीय संसद ने 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति अनुमोदित की थी। बाद में सन् 2007 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित की। दोनों का उद्देश्य भारतीय कृषि की त्वरित, समग्र तथा टिकाऊ वृद्धि व विकास करने के लिए देश की व्यापक अनुप्रयुक्त वृद्धि क्षमता का उपयोग करना है, ताकि किसानों, कृषि कर्मियों व उनके परिवारों की सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। भारत के संविधान के अनुसार कृषि यद्यपि राज्य का विषय है लेकिन इसके ऐसे अनेक घटक हैं जो केन्द्रीय सूची में आते हैं। अक्सर कृषि से संबंधित नीतियां केन्द्र द्वारा आरंभ की जाती हैं, विशेष रूप से देशभर में विकास से संबंधित क्रिया–कलापों को सहायता सुनिश्चित करना केन्द्र का उत्तरदायित्व है। किसानों तथा कृषि कर्मियों की समस्याओं व उनके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य अपने लिए कृषि नीति निर्धारित कर रहा है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा किसान आयोग की सहायता से एक प्रगतिशील कृषि नीति बनाने का निर्णय लिया। अतः यह मसौदा दस्तावेज़ राज्य की कृषि से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के आधार पर हरियाणा सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

2. हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था

हरियाणा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है जहां 4.4 मिलियन हैक्टर भूमि है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की 1.34 प्रतिशत है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत भाग में खेती की जाती है जिसमें से 84 प्रतिशत सिंचित है जिसकी फसल गहनता 184 प्रतिशत है।

परिस्थितिविज्ञान एवं फसल पद्धति के अनुसार राज्य को 3 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। आंचल–I इसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत 8 जिले आते हैं। यह क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 32 प्रतिशत है। आंचल–II इसमें 7 जिले नामतः सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल हैं। इस आंचल का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 39 प्रतिशत है। आंचल–III में 6 जिले नामतः भिवानी, महेन्दरगढ़, रिवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव और मेवात हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 29 प्रतिशत है। आंचल I और II में आने वाला क्षेत्र गेहूं, चावल, दालों, कपास और गन्ना जैसी फसलों से युक्त फसल विविधीकरण के लिए आदर्श है तथा यहां गायें, भैंसें व कुक्कुट वर्ग के पक्षी पाले जाते हैं। इस आंचल में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं हैं और सकल बुनियादी ढांचा भी श्रेष्ठ है। तथापि, इन आंचलों के कान्डी क्षेत्र में मृदा एवं जल क्षरण की गंभीर समस्या है अतः यह क्षेत्र कृषि वानिकी और कृषि बागवानी प्रणालियों के लिए उपयुक्त है। आंचल–III के अधिकांश क्षेत्र में बाजरा, तोरिया और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं तथा यह कृषि बागवानी के लिए उपयुक्त है। मेवात क्षेत्र कृषि वानिकी, भेड़ व बकरी पालन के लिए उपयुक्त है।

मुख्य विशेषताएं:

- छोटा लेकिन कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य
- प्रभावशाली कृषि वृद्धि
- त्वरित शहरीकरण व आहार मे परिवर्तन
- विविध प्रकार की कृषि पारिस्थितिकी और फसल पद्धतियां
- संबंध क्षेत्रों (पशुधन, मात्स्यिकी, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि) में प्रभावशाली वृद्धि

हरियाणा

प्रशासन के उद्देश्य से राज्य को चार प्रभागों में : अंबाला, गुड़गांव, हिसार और रोहतक में बांटा गया है जहां श्रेष्ठ बुनियादी ढांचा व जन–सामान्य के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विनिर्माण और सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होने के साथ–साथ इस राज्य में कृषि ने अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका अदा की है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 14.5 प्रतिशत का योगदान दिया है। साथ ही, कृषि कार्यबल के 51 प्रतिशत को रोजगार प्रदान कर रही है। औद्योगिक रोजगार के मामले में भी यहां कृषि आधारित उद्योग कुल उद्योगों का 31 प्रतिशत से अधिक हैं। मुर्रा भैंस तथा बासमती चावल राज्य के लिए गर्व का विषय है। वर्तमान में इस राज्य से अन्य राज्यों को, और यहां तक कि विदेशों में भी प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मुर्रा भैंसे निर्यात की जाती हैं। राज्य बासमती चावल के उत्पादन और बाजरा व तोरिया सरसों की उत्पादकता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन 2010–11 में बढ़कर 16.2 मिलियन टन हो गया था, जबकि 1966–67 में जब यह राज्य बना था तब यहां का खाद्यान्न उत्पादन मात्र 2.59 मिलियन टन था। राज्य ने सबसे कम समय में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। वर्तमान में हरियाणा राज्य राष्ट्रीय खाद्यान्न झोली में दूसरा सबसे बड़ा योगदाता है। प्रगतिशील नीतियां आर कार्यक्रम, श्रेष्ठ अनुसंधान और विकास प्रणाली, वांछित बुनियादी ढांचा और यहां के मेहनती किसान राज्य की निरन्तर वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और उनका इसमें सबसे प्रमुख योगदान है। वर्ष 2011–12 के दौरान हरियाणा में जीडीपी की वृद्धि 8.1 प्रतिशत थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 6.9 प्रतिशत थी। सैक्टोरल वृद्धि के मामले में सेवा के क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि रिकॉर्ड की गई जिसके बाद उद्योग (6.1 प्रतिशत) और कृषि (5.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

पशुधन क्षेत्र का राज्य के कृषि जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान है और राज्य के निर्माण की अवधि की तुलना में अब दूध और अण्डों का उत्पादन क्रमशः 5 गुना और 160 गुना बढ़ गया है। राज्य में उच्च आय देने वाली फसलों/जिन्सों जैसे ग्वार, बागवानी, कुक्कुट तथा अन्तःस्थलीय मछली पालन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की बहुत क्षमता ह। वर्ष 2010–11 के दौरान 3.99 लाख हैक्टर से अधिक क्षेत्र में बागवानी हुई। पिछले दशक के दौरान राज्य में कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में अण्डे और मांस उत्पादन के लिए लगभग 2.88 करोड़ कुक्कुट पक्षी हैं। वर्ष 2010–11 क दौरान लगभग 9.5 हजार मत्स्य किसानों ने लगभग 17 हजार हैक्टर अन्तःस्थलीय जल क्षेत्र में लगभग 94 हजार टन मछलियों का उत्पादन किया। वर्ष 1966–67 की तुलना में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में कई गुनी वृद्धि हुई है। वर्तमान में हरियाणा का, अन्तःस्थलीय मत्स्य उत्पादकता के मामले में, भारत में दूसरा स्थान है।

हरियाणा तथा अखिल भारतीय स्तर पर निरन्तर (2004–2005) मूल्यों की दृष्टि से जीडीपी की वृद्धि (एचईएस, 2011–12)

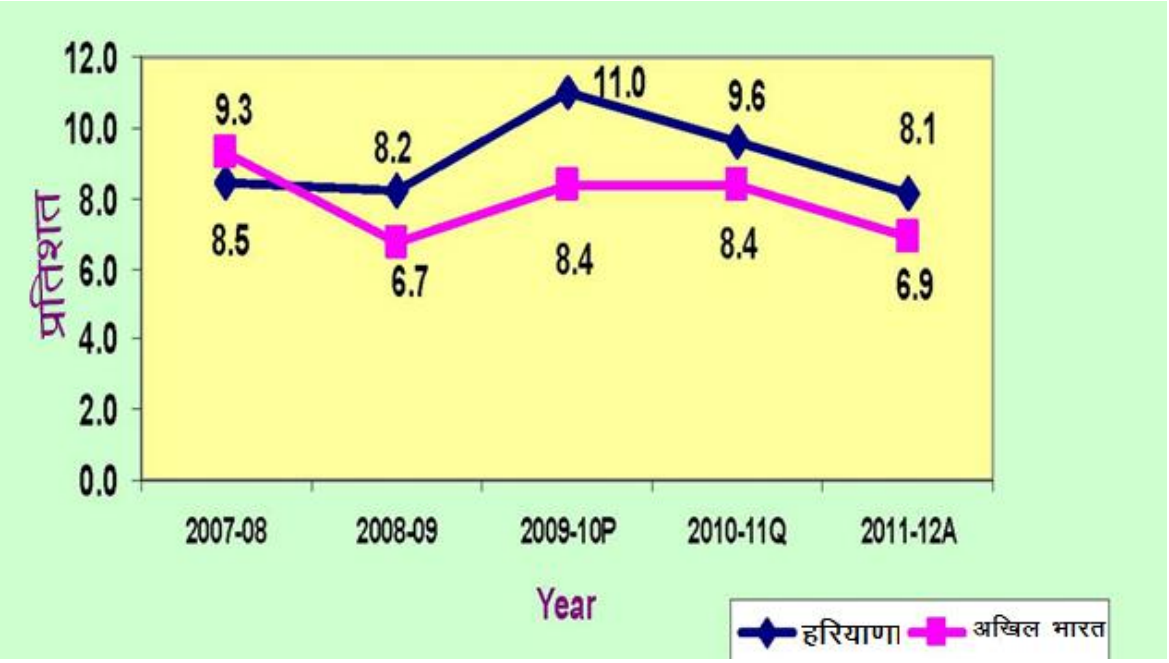

भारत के अन्य भागों की तरह इस राज्य में भी लोगों के आहार में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2025 तक पति व्यक्ति दालों, खाद्य तेलों, फलों, सब्जियों और दूध की खपत में 28–75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। 156 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि अण्डों, मांस और मछलियों की खपत में होने की आशा है। भविष्य में इन जिन्सों के लिए मांग और आपूर्ति का अन्तराल महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां की जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में 1.7 प्रतिशत है जिसके 2025 तक लगभग 1.1 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर होने की संभावना है। वर्तमान में जीडीपी वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत है। वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यहां लगभग 9 प्रतिशत ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है जबकि इसकी तुलना में पंजाब में 5 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्तर पर 24 प्रतिशत ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2004–05 की तुलना में जब यह 37972 रूपये थी 2011–12 में बढ़कर दुगुनी अर्थात 63045 रूपये हो गई है।

पिछले अनेक वर्षों से राज्य ने कृषि में निवेश बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास प्रणाली को सबल बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करने, सिंचाई के विकास, भूमि अधिग्रहण नीति, ऋण तथा बिजली उपयोग के लिए अनुदान, सड़कों, बाजार, बिजली सृजन और आपूर्ति आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में बहुत प्रगति की है। ग्रहणशील कृषक समुदाय द्वारा नई–नई प्रौद्योगिकियों को तत्काल अपनाने के साथ–साथ इन प्रगतिशील नीतियों के कारण राज्य का निरन्तर एवं त्वरित विकास हुआ है और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में तो हुई प्रगति और भी उल्लेखनीय है।

इन आकर्षक उपलब्धियों के बावजूद राज्य के समक्ष अनेक समस्याएं हैं; जैसे फार्म जोतों का आकार कम होना, कृषि वाले क्षेत्र में कमी आना, मृदा लवणता में वृद्धि, जल–तल का कहीं घटना और कहीं ऊपर उठना, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, कठिन जलवायु, वनाच्छादन का कम होना (3.52 प्रतिशत मात्र), राज्य के एक बड़े भाग का (लगभग 19 प्रतिशत) अब भी बारानी होना, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन संबंधी सुविधाओं की कमी, जिन्सों के भंडारण में आने वाली बाधाएं, कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी आदि। ये सभी घटक उत्पादकता वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। खेत फसलों, बागवानी फसलों, पशुधन के मामले में उत्पादकता अन्तराल बहुत अधिक है। राज्य में दालों (चने को छोड़कर), सब्जियों और फलों की कमी है। राज्य

की एक प्रमुख फसल चावल में विशेष रूप से कुल घटक उत्पादकता में कमी आ रही है। भूमि सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी निवेश, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, उन्नत पर्यावरणीय सेवाओं, जोखिम प्रबंध, कृषि ऋण, बीमा तथा किसानों के लिए कृषि–परामर्श सेवाओं के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना है। राज्य को मुर्रा भैंस (डेरी तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए), बासमती चावल, ग्वार, खुम्बी, कुक्कुट पालन, मछली पालन, शुष्क बागवानी, कृषि वानिकी तथा कृषि पर्यटन का उपयोग करते हुए तुलनात्मक लाभ प्राप्त करना है। किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा कृषि श्रमिकों की आय, लाभदायकता, टिकाऊपन और सकल आजीविका सुरक्षा संबंधी वर्तमान तकलीफें नीति–निर्माताओं, नियोजकों और विकास एजेन्सियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। इस पृष्ठभूमि में हरियाणा के लिए प्रस्तावित कृषि नीति में कृषि तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि निवेश में वृद्धि, उत्पादन में बढ़ोतरी, उत्पादकता में विकास, टिकाऊपन और लाभदायकता सुनिश्चित हो सके। एक बार जब ऐसी नीति तैयार हो जाएगी तो इससे राज्य के त्वरित, टिकाऊ व सकल विकास की प्रक्रिया में और तेजी आएगी।

3. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

3.1 सबलताएं

हरियाणा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से युक्त वीरों की भूमि व परिश्रमी किसानों वाला राज्य है। मिश्रित कृषि यहां के जीवन में घुली–मिली है और राज्य मुर्रा भैंस व हरियाणा गो–पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां की जलवायु बासमती चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल है। राज्य के लगभग दो तिहाई भाग में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो चावल–गेहूं उत्पादन प्रणाली के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जबकि बारानी भूमियां (लगभग 1/5) तोरिया और सरसों, बाजरा, ग्वार की खेती, कृषि वानिकी और शुष्क बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित है तथा बड़े–बड़े बाजार और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनके पास हैं। चावल, गेहूं, तोरिया और सरसों, बाजरा, कपास व गन्ना यहां की प्रमुख फसलें हैं और यहां कृषि विविधीकरण के साथ–साथ फार्म–इतर कार्यों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। फूलगोभी, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्च, अमरूद और किन्नू महत्वपूर्ण बागवानी फसलें हैं जिनमें बहुत संभावनाएं हैं। डेरी, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, शुष्क बागवानी, खुम्बी उगाना, मधुमक्खी पालन, कृषि बागवानी जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी यहां अपार संभावनाएं हैं। भूमि और जल वास्तव में मूल्यवान स्रोत हैं तथा यह राज्य भाग्यवान है कि इसे उच्च फसल सघनता, उचित फार्म यंत्रीकरण, प्रगतिशील कृषक समुदाय, विशेष रूप से परिश्रमी खेतिहर महिलाओं जैसी संपत्तियों का वरदान प्राप्त है। किसानों द्वारा अपनाई गईं खेती की आधुनिक विधियों व उनके समृद्ध परम्परागत ज्ञान के कारण हरियाणा राज्य को देश में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। सरकारी नीतियां भी किसानों के अनुकूल हैं तथा राज्य में किसानों की सहायता के लिए एक कुशल शासन प्रणाली मौजूद है।

3.2 निर्बलताएं

कृषि योग्य भूमि का कृषि से इतर उद्देश्यों के लिए उपयोग में आना चिन्ता का एक प्रमुख विषय है। मृदा स्वास्थ्य एवं जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम है तथा कार्बनिक पदार्थों के पुनश्चक्रण को नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि गेहूं और धान के भूसे को खेतों में ही जला दिया जाता है और गोबर को अधिकांशतः ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कम्पोस्टीकरण को बहुत कम अपनाया जा रहा है, कार्बनिक पदार्थों के एक महत्वपूर्ण स्रोत पशु अपशिष्टों को सामान्यतः सड़क के किनारे ढेर में छोड़ दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लवणता भी चिन्ता का विषय है। शुष्क क्षेत्र मे अधिकांश भूजल खारा है और नहर कमान क्षेत्रों में जल का तल तेजी से घट रहा है। अनुशंसित प्रौद्योगिकियां भी आंशिक रूप से अपनाई जा रही हैं तथा बीजोपचार, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, सूक्ष्म तत्वों के उपयोग, खरपतवार प्रबंध, कारगर जल प्रबंध, हरी खाद, जैव उर्वरक, केंचुएं की खाद के उपयोग, समेकित नाशीजीव प्रबंध का उपयोग करते हुए रोगों व नाशकजीवों का नियंत्रण, फसल चक्रण आदि जैसी प्रथाएं भी केवल आंशिक स्तर पर ही अपनाई जा रही हैं। प्रगतिशील कृषि के मामले में ये स्पष्ट रूप से कमजोर कड़ी है। इसी प्रकार ऋण तथा अन्य निवेशों की कृषि कार्यों के लिए समय पर अनुपलब्धता व सूचना की कमी

और ज्ञान की भागीदारी की प्रभावी क्रियाविधि का न होना कृषि के विभिन्न क्षेत्रों (बागवानी, कृषि वानिकी, पशुधन, मात्स्यिकी, आदि) के त्वरित विकास के मार्ग में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। चारे, श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण आहार, स्वस्थ मछली जीरे की कमी, पशुधन, कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास के मार्ग में आने वाली कुछ अतिरिक्त बाधाएं हैं। राज्य में श्रमिकों की कमी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है और यह कृषि की वृद्धि में बाधक है। भण्डारण, प्राथमिक प्रसंस्करण और शीत श्रृंखला संबंधी सुविधाओं की कमी; बिजली की अपर्याप्त, अनिश्चित और असमय आपूर्ति; कृषि विविधीकरण में रुकावट और इसके साथ–साथ खाद्य आदतों में बदलाव राज्य की कुछ अन्य कमजोरियां हैं। कृषि अनुसंधान एवं विकास में अपेक्षाकृत कम निवेश भी एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो राज्य में कृषि की त्वरित वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

3.3 अवसर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा अन्य बड़े शहरों के निकट होना, जिंसों की तेजी से बढ़ती हुई घरेलू मांग और कृषि उत्पादा का फैलता हुआ बाजार हरियाणा राज्य के कृषक समुदाय के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। फसलों, पशुओं तथा अन्य क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादकता अन्तराल को मिटाने के लिए भली प्रकार विकसित अनुसंधान व विस्तार प्रणाली; और उपलब्ध कच्ची सामग्री के उपयोग हेतु कृषि प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचों का विकास कुछ ऐसे उभरते हुए अवसर हैं जिनका लाभ उठाने की आवश्यकता है। मध्यम आय वर्ग वाले समूह में फलों, सब्जियों, दूध, मांस, अण्डों, मछलियों और अन्य डेरी उत्पादों (मक्खन, पनीर, चीज़, मिठाइयों) की बढ़ती हुई मांग को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से बासमती चावल, मोज़रेला चीज़, मुर्रा भैंस के जननद्रव्य, खुम्बी, बेबी कॉर्न, स्ट्राबेरी, शहद आदि जैसे उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय मांग लाभदायकता व आय को बढ़ाने के लिए उभरते हुए उच्च क्षमता वाले विकल्प हैं। अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विद्यमान होने के साथ–साथ उत्पादक केन्द्रों के साथ बाजारों को जोड़ने से वैश्विक बाजारों में भी निर्यात के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में तेजी से विकसित होते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे से कृषि क्षेत्र की निर्यात क्षमता के पूरे उपयोग के अवसर उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान सहकारी समितियां कृषि के क्षेत्र में ऋण, विपणन और अन्य सेवाओं को सबल बनाते हुए इन्हें और संगठित कर सकती हैं। अनुसंधान एवं विकास संगठनों के बीच और अधिक संपर्क व सहयोग, बागवानी के पक्ष में विविधीकरण की संभावनाएं, विशेष रूप से सब्जियों और फूलों, पशुधन, अन्तःस्थलीय जल–जन्तु पालन (गांव के तालाबों, जल भरे क्षेत्रों, खारे जल वाले शुष्क क्षेत्रों), मागुर, सोल, सी बास, तिलेपिया, सिंघाड़ा, झींगा आदि जैसी उच्च मूल्य वाली मत्स्य प्रजातियों का पालन तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्र लागत को कम करने, मृदा की उर्वरता को सुधारने और खेती से होने वाली आय को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परि–नगरीय खेती के विकास और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली सब्जियों व फलों की संरक्षित खेती कुछ ऐसे अन्य अनुप्रयुक्त/अल्पप्रयुक्त अवसर हैं जो हरियाणा के किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

3.4 खतरे

घटती हुई कुल घटक उत्पादकता, बढ़ती हुई उत्पादन लागत, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर बढ़ती हुई चिन्ता, कृषि के वैश्वीकरण के कारण बढ़ती हुई अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अनाज आधारित (चावल–गेहूं) फसल प्रणाली के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र, फलीदार फलियों की खेती वाले क्षेत्र में आने वाली गिरावट, कम कार्बनिक पदार्थों से युक्त अपघटित होती हुई मृदा उर्वरता/मृदा स्वास्थ्य, गंधक, पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वास्तव में राज्य की कृषि के लिए उभरते हुए खतरे हैं। इसके अतिरिक्त तेजी से घटता हुआ भूजल; शुष्क क्षेत्रों में लवणता व जल–तल का ऊपर उठना; मीठे जल की नहरों में अनुपचारित औद्योगिक बहिर्स्रावों और मल–जल को छोड़े जाना; तेजी से होते हुए शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भूमि और जल के पति बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा कुछ अन्य उभरते हुए खतरे हैं। निश्चित रूप से अप्रभावी निगरानी, निवेशों और रोपण सामग्री की घटिया गुणवत्ता, नाशकजीवों और रोगों के प्रकोप में वृद्धि नए खतरे बनकर उभर रहे हैं। फसलों और पशुधन के लिए केवल चयनित बीमा और कुक्कुटों व मछली पालन के लिए बीमे की सुविधा उपलब्ध न होना, कृषि के लिए दिन के समय बिजली का न मिलना, डेरी और मछली पालन के

लिए उच्च दर पर बिजली और जल प्रभार, आहार और उर्वरकों की उच्च कीमत, कृषि को अपनाने में नई पीढ़ी की रुचि में कमी, हाल में उभरी कुछ निरुत्साहित करने वाली प्रवृत्तियां हैं।

4. परिदृश्य

कृषि को कुशल, आर्थिक रूप से व्यावहारिक, प्रगतिशील, ज्ञान पर आधारित टिकाऊ और सम्मानजनक व्यवसाय बनाकर हरियाणा के किसानों की सकल प्रगति व समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

4.1 लक्ष्य

कृषि में 4 प्रतिशत से अधिक सकल वृद्धि प्राप्त करने के लिए इस नीति का उद्देश्य तीन लक्ष्य प्राप्त करना है : (क) सभी के लिए (सभी के लिए खाद्य और पोषण) खाद्य, पोषणिक, रोजगार और आजीविका की सुरक्षा; (ख) आय बढ़ाने के लिए किसानों को बाजार से जोड़ना (सभी की समृद्धि); और (ग) टिकाऊ कृषि व पर्यावरणीय सुरक्षा (समग्र में समृद्धि)।

5. कार्यनीतियां

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चार पारस्परिक पूरक कार्यनीतियां प्रस्तावित की जाएंगी : (i) टिकाऊ कृषि (ii) उत्पादक कृषि (iii) द्वितीयक कृषि और (iv) नवोन्मेषी कृषि

5.1 टिकाऊ कृषि

हरियाणा में टिकाऊ कृषि वृद्धि लाने व उसे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध सबसे पहली कार्यनीति होनी चाहिए। वास्तव में राज्य में टिकाऊ वृद्धि की दृष्टि से प्रमुख कमजोरी और खतरा प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। विशेष रूप से मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी और उसकी गुणवत्ता में गिरावट ऐसे उभरते हुए खतरे हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार जैवविविधता प्रबंधन में भी कमियां हैं। इस नीति का उद्देश्य तकनीकी रूप से ठोस, आर्थिक रूप से व्यावहारिक, पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी व राज्य में सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्राकृतिक संसाधनों–भूमि/मृदा, जल, ऊर्जा, जैव विविधता और जलवायु की ओर केन्द्रित दृष्टि को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि के क्रमिक उपयोग, मृदा कार्बनिक अंश के प्रबंध, उपलब्ध जल के उपयुक्ततम उपयोग, ऊर्जा के दक्ष उपयोग, कृषि जैवविविधता के संरक्षण व प्रभावी उपयोग तथा अनेक वर्तमान प्रतिबलों के प्रभाव से निपटने के लिए ठोस नीतियां और उपाय अपनाए जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम व नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए टिकाऊ कृषि सुनिश्चित होगी व राज्य के लोगों को स्वच्छ वायु, जल और भोजन मिल सके या इनमें भूमि, जल और जैव संसाधनों जैसे तीन मौलिक प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीतियां बनाना भी शामिल होगा।

5.1.1 भूमि

चूंकि भूमि का क्षैतिज विस्तार नहीं हो सकता है और इसका स्वास्थ्य व इसकी उर्वरता भावी वृद्धि और टिकाऊपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसके विकास व वैज्ञानिक उपयोग में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से अल्प, मध्यम और दीर्घावधि भावी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। भूमि नीति और **स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी** को अपनाकर हम अपने उद्देश्यों, सीमाओ और क्रियाविधियों को निर्धारित कर सकेंगे जिसके लिए हमें कृषि योग्य भूमि का कृषि इतर, अस्वीकृत उद्देश्य से उपयोग करने पर व्यक्तिगत स्वामियों, समुदाय/पंचायत, निजी कम्पनियों तथा सरकार के लिए दण्ड का प्रावधान करना होगा। भूमि अधिग्रहण नीति ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले केवल बंजर भूमियों को ही अधिग्रहित किया जाए। इसके साथ ही, विकास संबंधी क्रियाकलापों की एक निश्चित परिभाषा होगी जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि सुधार संबंधी नियमों व क्रियाविधियों की समीक्षा करके इन्हें पुनः निर्मित किया जाएगा और इसे भारत के एक सर्वाधिक प्रगतिशील मॉडल के रूप में तैयार करके ईमानदारी से लागू किया जाएगा। इसी प्रकार भूमि/तालाब अधिग्रहण/पट्टे पर लेने के लिए नियम और क्रियाविधियां तैयार की

जाएंगी जिनसे स्वामियों के हितों की रक्षा हो और पट्टेदारों का हित भो स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो। वनीकरण के लिए सीमित बंजर भूमि के उपयोग, आवधिक भूमि मूल्यांकन, संयुक्त स्वामित्व (पति और पत्नी) के लिए प्रावधान व क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी। गांव के तालाबों पर अन्य उपयोगों के लिए कब्जा करने को रोका जाएगा/इसे निरुत्साहित किया जाएगा। व्यक्तिगत किसानों/सहकारी समितियों और कार्पोरेट घरानों के लिए भूमि हदबंदी की सीमा (न्यूनतम और उच्चतम दोनों) की समीक्षा की जानी चाहिए और नई भूमि नीति के अन्तर्गत इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में भूमि किराए/कर में वांछित समानता रखी जाएगी। महिलाओं के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होगी। गांव समुदायों की सामान्यः संपत्ति व बंजर भूमि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसानों (व्यक्तिगत रूप से, स्वयं सहायता समूहों या सहकारिताओं के माध्यम से) को ग्रामीण आधारित छोटे पैमाने की प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं उनकी अपनी भूमि पर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए उचित नियम व क्रियाविधियां तय की जाएंगी। सुचारू ट्रैफिक गति को सुनिश्चित करने व ट्रैफिक जाम को न्यूनतम करने के लिए बाईपास बनाने की बजाय फ्लाईओवर और अण्डरपास बनाए जाएंगे।

जहां तक कृषि में भूमि–उपयोग का संबंध है, राज्य के भूमि और मृदा संसाधनों की गुणवत्ता को सुधारने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पोषक तत्व खनन संबंधी समस्या से निपटने के लिए 3 वर्ष में एक बार उच्च रेजोलूशन वाले मृदा मानचित्र तैयार किए जाएंगे, ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग सहित पोषक तत्वों के नियोजन का मार्गदर्शन किया जा सके। मृदा में कम कार्बन अंश को ध्यान में रखते हुए कार्बनिक पुनश्चक्रण, मृदा सूक्ष्मजीवों के प्रबंध, मृदा संधिपादों के प्रबंध और दाला को उगाने पर विशेष बल दिया जाएगा। मृदा कार्बनिक पदार्थ के समृद्धिकरण हेतु संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त लाभ को ऐसे उद्देश्यों के लिए पुनः निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सीमांत और अपघटित भूमियों के सुधार, सामान्य सम्पत्ति संसाधनों को ठीक करने और मिट्टी से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य वर्तमान भूमि उपयोग मंडल के अनुदेश का विस्तार करते हुए राज्य भूमि उपयोग, नियोजन एवं विकास मंडल की स्थापना पर विचार करेगा, ताकि भूमि से संबंधित सभी मुद्दों से निपटा जा सके। वैज्ञानिक ढंग से भूमि उपयोग नियोजन पर विशेष बल दिया जाएगा। राज्य में, संरक्षण कृषि संबंधी विधियों को अपनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग, कार्बनिक खादों (घूरे की खाद, कम्पोस्ट, केंचुए की खाद/जैव–उर्वरकों/हरी खाद) के उपयोग द्वारा समेकित पोषक तत्व प्रबंध के माध्यम से मृदा उर्वरता को सुधारा जाएगा। जैव–उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने की बहुत आवश्यकता है और इन्हें सबल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक फार्म पर कम्पोस्ट गड्ढा और प्रत्येक गांव में वर्मी–हैचरी वांछित होगी जिसके लिए उचित प्रोत्साहन दिए जाएंगे। चावल–गेहूं प्रणाली में फलीदार फसलों को उगाना, उचित फसल क्रम, अपशिष्टों को जलाने की बजाय उन्हें खेतों में मिलाना, वृक्षारोपण और गांव पंचायत की भूमियों/सामान्य भूमियों पर चारे उगाना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, नहर के किनारों और खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन विधियां/हरित कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहन/उचित क्षतिपूर्ति की जाएगी और इसके लिए नकद पुरस्कार, उच्च समर्थन मूल्य, बोनस या कम ब्याज पर प्रश्रयशील ऋण आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेवात क्षेत्र सहित विशेष रूप से शुष्क भूमि/बारानी क्षेत्रों में

भूमि से संबंधित मुद्दे

- श्रेष्ठ कृषि योग्य भूमि को कृषि इतर उपयोगों से बचाया जाना चाहिए।
- केवल बंजर और कम उत्पादक भूमि का कृषि इतर उपयोगों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- मदा स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कार्बनिक पुनश्चक्रण व उर्वरकों के संतुलित उपयेाग पर बल दिया जाना चाहिए।
- भूमि सुधार के लिए नियमों और क्रियाविधियों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।
- टिकाऊपन के लिए वैज्ञानिक ढंग स भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भूमि संसाधनों के प्रबंध के लिए वर्षा जल के प्रबंध, जलसंभर दृष्टिकोण, संरक्षण कृषि, सूक्ष्म–सिंचाई जैसी विधियां, कृषि बागवानी, ऊर्जा वृक्षों का रोपण और फार्म इतर आजीविका के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।

5.1.2 जल

कृषि नीति में जल की प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक अन्न उपजाने पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य में सभी सिंचाई संबंधी परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी और बारानी क्षेत्रों में नहर जल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध होगा। 20 प्रतिशत तक की सीमा तक विशेष रूप से खारे जल वाले क्षेत्रों में, सतही और भूजल के मिले–जुले उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नहर के क्षेत्रों में खेतों में जल छोड़े जाने के दिनों, समय व मात्रा का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि किसानों की कठिनाइयां न्यूनतम रहें। चूंकि भू–जल का दोहन खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, अतः भू–जल मसौदा विधेयक, 2008 और हरियाणा उप मृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009 को कड़ाई से लागू किया जाएगा और इसमें फीडबैक के आधार पर वांछित सुधार किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख फसल प्रणाली नामतः चावल–गेहूं प्रणाली से जल, उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग हुआ है और एक–फसल प्रणाली तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। गर्मियों में मूंग की फसल उगाने जैसी कुछ अपनाने योग्य पारिस्थितिक मित्र विकल्पों को तलाशा जाएगा, ताकि किसानों को नुकसान न हो। इस संदर्भ में राज्य ने गर्मियों में धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य द्वारा गर्मियों में धान की खेती पर लगाए गए प्रतिबंध से लगभग 7 प्रतिशत जल की बचत होने लगी है। इस प्रतिबंध को आगे भी पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। राज्य को चावल–गेहूं और कपास–गेहूं फसल प्रणालियों में जल की खपत को कम से कम 30 प्रतिशत कम करना होगा। इसके लिए चावल की सीधी बीजाई, कपास में एक कूंड़ छोड़कर सिंचाई करना, प्लास्टिक की पलवार बिछाना, लैजर भूमि समतलन आदि जैसी विधियों को प्रोत्साहनकारी सरकारी स्कीमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। जल नहरों तथा जल मार्गों की सतह व दीवारों को पक्का करने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि, जल के परिवहन में होने वाली क्षति को कम किया जा सके। 'खेत का पानी खेत में' दृष्टिकोण को अपनाकर जल संग्रहण की तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमिगत पाइप लाइन बिछाने और सूक्ष्म सिंचाई को भविष्य में राज्य द्वारा प्राथमिकता दो जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में जल के विविध उपयोगों के लिए जल टैरिफ को तर्कसंगत बनाया जाएगा तथा कृषि (बागवानी, पशुपालन व मात्स्यकी) के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाएगा। जल बचाने के लिए आप्लावन सिंचाई को निरुत्साहित किया जाएगा तथा सूक्ष्म सिंचाई की विधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि इसे उच्च प्राथमिकता दी जा सके। चूंकि सूक्ष्म सिंचाई से जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि होती है, अतः इसे बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जल का कुशल उपयोग करने वाली फसलों/किस्मों को भावी फसल प्रजनन कार्यक्रमों में उचित प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य गांव के तालाबों/कुंडों/कुंओं में जल संसाधनों को बढ़ाने व उनके नवीकरण को प्राथमिकता देगा। इन्हें 'मनरेगा' संबंधी क्रियाकलापों में शामिल करने की संभावना तलाशी जाएगी। स्वःस्थाने फार्म जल संरक्षण के लिए किसानों को अपने फार्म पर मेड बनाने और जलकुंड खोदने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि पूरक सिंचाई सुनिश्चित हो सके। वर्तमान उपलब्ध जल से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जल उपयोगकर्ता एसोसिएशनें/पानी पंचायतें

जल उपयोग की दक्षता में सुधारः

- स्व–स्थाने जल संग्रहण (खेत का पानी खेत में)
- सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देकर आप्लावन सिंचाई को निरुत्साहित करना
- जल उपयोगकर्ता एसोसिएशनों के माध्यम से सिंचाई प्रबंध
- भूजल मसौदा विधेयक 2008 और उप–मृदा जल परिरक्षण अधिनियम, 2009 को कड़ाई से लागू करना
- सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना
- जल का आर्थिक दष्टि से उचित मूल्य निर्धारण
- लेज़र भूमि समतलीकरण और पाइपों के माध्यम से जल प्रदानीकरण प्रणाली
- जलभरों का पुनर्भरण
- बाढ़ के जल का प्रबंधन और धारा परिवर्तन

पूरे राज्य में गठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जल भराव वाले क्षेत्रों में जैव–जलनिकासी को बढ़ावा दिया जाएगा। जल का प्रदूषण एक उभरती हुई समस्या है। उपयुक्त नीति संबंधी पहलु के माध्यम से केवल उचित प्रकार से उपचारित औद्योगिक बहिर्स्रावों और मल–जल में सहिष्णु सीमा तक मौजूद प्रदूषकों को भी विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहरों में छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। रसायनों के उपयोग और जल के आवश्यकता से अधिक दोहन को उचित नीतिगत उपायों के माध्यम से रोका जाएगा। बंजर भूमियो और शुष्क भूमियों पर जल कुंडो का विकास करके, उचित स्थानों पर बोर कूपों के पुनर्भरण हेतु निर्माण करके, जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नहर के किनारों के पास से रिसने वाले जल को पम्प करके और वंचित परिवारों को जल उपलब्ध कराकर भविष्य में इन्हें नीति बनाते हुए प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार पूरे राज्य में जल साक्षरता के प्रसार पर सर्वोच्च ध्यान देगी और इसके लिए न केवल जल संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में यमुना, घघ्घर तथा अन्य छोटी नदियों में बरसात के मौसम में अतिरिक्त बाढ़ जल की समस्या उत्पन्न होती है जिससे हरी फसलें, पशु तथा लोगों का सामान्य जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। राज्य पड़ोसी राज्यों के सहयोग से इसके लिए दीर्घावधि उपाय आरंभ करेगा, ताकि अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों/बारानी क्षेत्रों की ओर मोड़कर बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए जल पुनर्भरण हेतु बोर कूप भी खोदे जाएंगे। सरकार किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली में परिवहन और वितरण के दौरान होने वाली क्षति बहुत अधिक है। अतः इस हानि को कम करने के उपाय और साधन तलाशे जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा।

5.1.3 जैव–संसाधन प्रबंधन

व्यापक जैव–संसाधन जैसे फसल अपशिष्ट, गन्ने की खोई, सब्जियों के अपशिष्ट, वृक्षों से गिरी पत्तियां आदि राज्य में ऊर्जा सृजन और मृदाओं के कार्बनिक पुनश्चक्रण के लिए अपार अवसर उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में फसल अपशिष्टों को जलाना किसानों के लिए बहुत आम बात है। इसके हानिकारक प्रभावों को देखते हुए राज्य के अपशिष्टों को जलाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रावधान के सख्ती से पालन तथा कार्बनिक पुनश्चक्रण संबंधी विधियों को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि ऊर्जा एक बड़ी बाधा है, अतः ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का तर्कसंगत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में ऊर्जा की खपत को लगभग 10 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता है और ऐसा कुशल नियोजन व जैवऊर्जा के संसाधनों के कारगर उपयोगों के माध्यम से किया जा सकता है।

बुआई, निराई–गुड़ाई आदि जैसे कृषि कार्यों के लिए पशु शक्ति, गोबर गैस, सौर व पवन और भू–तापीय ऊर्जा के उपयोग की संभावना को तलाशा जाएगा तथा इसके लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। राज्य भविष्य में गोबर को खाद के रूप में उपयोग करने को बढ़ावा देगा और इसे ईंधन के रूप में जलाने को निरुत्साहित करेगा जिसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित हो सकें। राज्य ग्रामीण समुदाय को पशुओं के अपशिष्टों को कम्पोस्टिंग के माध्यम से खाद में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। सौर–शुष्कक, सौर–कुकर, सौर जल ऊष्मन यंत्रों, सौर पॉलीहाउसों जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोतों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी प्रकार, सौर प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोगों जैसे सोलर पीवी–पम्प आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बहु–उपयोगों के लिए पीवी जेनरेटरों, सोलर पीवी डस्टरों/स्प्रेयरों, पीवी पछोरने व सुखाने वाले यंत्रों, पीवी जल इकाइयां आदि को लोकप्रिय बनाया जाएगा। पवन ऊर्जा के मामलों में पवन पम्पों और पवन शक्ति जेनरेटरों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही भूतापीय ऊर्जा और नाभिक ऊर्जा के उपयोग व इसे सृजित करना गैर–परंपरागत ऊर्जा कार्य नीति का एक अभिन्न अंग होगा, ताकि राज्य की ऊर्जा संबंधी भावी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। उपकरणों की बिक्री के बाद की सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ऊर्जा युक्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य ने अपने भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग को विभिन्न प्रावस्थाओं के अंतर्गत वृक्षों का आच्छादन उपलब्ध कराके वन नीति तैयार की है, ताकि हरियाणा के नाम को उचित ठहराया जा सके जिसका अर्थ ही हरे वनों की भूमि है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि वानिकी को सबल बनाने हेतु विशेष प्रयास आरंभ किए जाएंगे। यह न केवल ऊर्जा और इमारती लकड़ी का सक्षम स्रोत होगा, बल्कि इससे पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होगा। सिंचित व बारानी क्षेत्रों में उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों की रोपाई करके जैसे क्रमशः पॉपलर और खेजरी के वृक्ष लगाकर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि वानिको को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा कि राज्य वन नीति में बताया गया है, यदि इसके लिए आवश्यक हुआ तो कुछ नीतिगत सुधार भी किए जाएंगे। वृक्ष की प्रजातियों में कार्बन संचयन की बहुत क्षमता है और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। प्रजातियों की उपयुक्तता और बाजार से संबंधित उनको कुछ समस्याओं से निपटने के लिए राज्य उपयुक्त नियम लागू करेगा जिसके अंतर्गत कृषिभूमियों पर लगाये गये वृक्षों को गिराने पर प्रतिबंध नही लगाने का प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त राज्य में इमारती लकड़ी के संगठित बाजार को स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि कृषि वानिकी के उत्पादों के व्यापार में सुविधा हो। वानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी में अनुसंधान और शिक्षा का प्रावधान करना राज्य कृषि विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होगी और प्रशिक्षित युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001) तथा जैव–विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान देगा। इस संदर्भ में हाल ही में गठित राज्य कृषि नवोन्मेष निधि और राज्य जैव–विविधता मंडल को पूर्णतः कार्यशील बनाया जाएगा, ताकि किसानों/कृषक समुदायों को उनकी बहुमूल्य जैव–विविधता के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकें। ऐसा सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। छोटी जोत वाले किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य आनुवंशिक रूप से रूपांतरित या जीएम फसलों पर उचित नीति बनाएगा, ताकि जैवप्रौद्योगिकी के लाभों को प्राप्त किया जा सके और साथ ही वांछित जैव–सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए मूल्यवान जननद्रव्यों की सुरक्षा आवश्यक है। इसमें भौगोलिक संकेतकों (उदाहरण के लिए बासमती चावल और मुर्रा भैंस) को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ वनस्पतिक उद्यान भी स्थापित किए जाएंगे तथा राज्य के मूल्यवान फ्लोरा और फॉना को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाएगा। नील गायों (नर और मादाओं दोनो को) के बधियाकरण के अभियान चलाए जाएंगे, ताकि उनका उत्पात रोका जा सके।

जैव–संसाधन प्रबंधः

- फसल अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध
- बिजली की निर्बाध आपूर्ति
- ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का तर्कसंगत मूल्य निर्धारण
- ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोतों का उपयोग
- गोबर के उपयोग को तर्कसंगत बनाना
- इमारती लकड़ी के संगठित बाजारों की स्थापना
- मूल्यवान कृषि जैवविविधता की सुरक्षा

5.1.4 मौसम और जलवायु परिवर्तन

मौसम और जलवायु की विविधता जिसमें मुख्यतः वर्षा और तापमान तथा अक्सर आने वाली बाढ़ें और चक्रवात आदि शामिल हैं, कृषि के निष्पादन के मार्ग में प्रमुख बाधा उत्पन्न करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान इनका प्रकोप बढ़ा है। कृषि पर पड़ने वाले इनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने व मौसम तथा जलवायु की विविधता के बढ़ने के कारण केन्द्र ने राज्य स्तर पर कृषि–मौसमविज्ञानी परामर्शदायी सेवा आरंभ की है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक जिले में उपलब्ध है और इसके द्वारा किसान खेती संबंधी कार्य नीतिपूरक व प्रबंध संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। केन्द्र ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत टिकाऊ कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी स्थापित किया है। इस मिशन का उद्देश्य फसलों व पशुपालन, दोनों क्षेत्रों में उपयुक्त उपाय अपनाकर प्रतिकूल जलवायु से निपटने के लिए उत्पादन प्रणाली तैयार करके भारतीय कृषि

को रूपांतरित करना है। कुछ अपनाए जाने योग्य कार्यनीतियों में शामिल हैं, बफर खाद्य एवं चारा स्टॉक की स्थापना, सिंचाई बुनियादी ढांचे को सबल बनाना और कृषि बीमा स्कीमें विकसित करना अन्य उपायों में कम अवधि वाली व कम जल मांग वाली किस्मों का चयन करके अधिक जल की मांग करने वाली फसलों के स्थान पर सूखा सहिष्णु फसलों को उगाना, अनिश्चित वर्षा से निपटने के लिए फसल कैलेंडर में परिवर्तन करना, संरक्षण कृषि प्रथाओं को अपनाना, फसल के असफल होने के जोखिम को कम करने के लिए मिश्रित फसलन को अपनाना, बारानी क्षेत्रों में बहु–वर्षीय फसलों को उगाना और पशुओं को पालना, फार्म से इतर उद्योगों का विस्तार आदि शामिल हैं। मौसम व जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए मुख्यतः जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को सबल बनाने और किस्मों में वांछित गुणों को लाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन व विभिन्न खेत फसलों के लिए उपयुक्त सस्यविज्ञानी उपाय तैयार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हरियाणा में गीली भूमि में चावल की खेती और पशुधन (मुख्यतः गोपशु और भैंस) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कृषि के क्षेत्र में मुख्य स्रोत माने गए हैं। राज्य इसे सर्वोच्च महत्व देगा, ताकि किसानों, पशुधन प्रजनकों और मछुआरों को मौसम विशिष्ट परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा वैश्विक ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल परिणामों को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकें।

5.2 उत्पादक कृषि

प्रमुख फसलों की उपज में आया ठहराव चिंता का विषय है,जबकि त्वरित/समग्र वृद्धि तथा राज्य की कृषि के विकास के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से पशुओं को चारा उपलब्ध होता है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और राज्य के 60 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका सुनिश्चित होती है। अतः कृषि उत्पादकता में वृद्धि राज्य की नीति की मुख्य प्राथमिकता बनी रहेगी। इससे न केवल कृषि में लगे लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि कृषि उत्पादकता बढ़ने से वे लोग भी लाभान्वित होंगे जो अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम यह देख सकते हैं कि क्षेत्र के सभी संकेत लगभग वैसे ही बने हुए हैं, जबकि पिछले एक दशक के दौरान उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

5.2.1 फसल उत्पादकता

हरियाणा राज्य के सृजन के वर्ष अर्थात 1966–67 से इस राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। खाद्यान्न उत्पादन जो 1970–71 में 47.71 लाख टन था वह 2010–11 में बढ़कर 166.29 लाख टन हो गया और इस प्रकार 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ाने में गेहूं और चावल की फसलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हरियाणा में 2010–11 के दौरान गेहूं और धान की प्रति हैक्टर उपज क्रमशः 46.24 और 27.88 क्विंटल प्रति हैक्टर रही। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान राज्य की कुल खाद्यान्न औसत उत्पादकता 35.27 क्विंटल/हैक्टर थी। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2008–09 के दौरान गेहूं और धान की प्रति हैक्टर औसत उपज क्रमशः 29.07 और 21.30 क्विंटल/हैक्टर थी। राज्य के लिए यह गर्व का विषय है कि वर्तमान में यह राज्य बाजरा तथा तोरिया–सरसों की प्रति हैक्टर औसत उपज के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक संसाधनों (मृदा और जल) के अपघटन को देखते हुए राज्य ने गर्मियों में चावल की खेती पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है। खरीफ और बसंत के मौसम में मक्का की खेती को बढ़ावा देकर चावल की खेती के स्थान पर इसे अपनाने के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही सीधी बीजाई वाले चावल/सुगंधित बासमती चावल की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। चावल और गेहूं (संकर, बासमती, कार्बनिक आदि के संदर्भ में) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को निर्धारित करना भी आवश्यक होगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घावधि उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त हुई इन उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद प्रायोगिक उपज और किसानों के खेतों में प्राप्त हुई उपज के बीच बहुत अंतर है। अतः इन अंतरों को मिटाने के लिए समग्र प्रयास करने होंगे। इसे प्राप्त करने के लिए संकरों के अंतर्गत और क्षेत्र लाने पर विशेष बल देना होगा। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े और नवम्बर के पहले पखवाड में गेहूं की समय पर रोपाई, गन्ने की पतझड़ के समय रोपाई के साथ–साथ अंतर–फसलन को बढ़ावा देना, मध्य जून में केवल चावल की नर्सरी में रोपाई तथा सीधे बीजे गए बासमती चावल की खेती जैसे उपायों को मिशन मोड आधार पर अपनाना होगा। मध्य जनवरी के बाद गेह् की पछेती बुआई को निरुत्साहित किया जाना चाहिए तथा संरक्षण कृषि के साथ–साथ गेहूं की उठी हुई क्यारियों में रोपाई तथा वसंत के मौसम में मक्का की खेती को फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चावल–गेहूं प्रणाली में गर्मियों के मासम में मूंग की फसल उगाना तथा अक्टूबर – नवम्बर में कपास की खड़ी फसल में गेहूं उगाना अन्य आशाजनक विकल्प हैं। इसके साथ ही नई खोजों के लिए अनुसंधान संस्थानों को कृषक समुदाय की वांछित और प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अनुसंधान कन्द्रित करने होंगे; अजैविक और जैविक प्रतिबलों के बढ़े हुए प्रतिरोध/सहिष्णुता पर और अधिक बल देना होगा; फसल विविधीकरण के लिए नए अवसरों का उपयोग करना होगा; और उत्पादकता बढ़ाने व किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खेती की सर्वश्रेष्ठ विधियां अपनानी हागी।

फसल उत्पादकता संबंधी चुनौतियों से निपटना

- वर्तमान उपज अंतरालों को कम करना
- उच्च उपजशील, पतिबल सहिष्णु संकरों/किस्मों/प्रजातियों का प्रजनन
- पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन
- विकास के लिए अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना
- फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना

5.2.2 बागवानी फसलों की उत्पादकता

फल, सब्जियां, पुष्प और खुम्बियां तथा इनके साथ–साथ अनेक प्रकार की औषधीय खुम्बियां हरियाणा में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण बागवानी फसलें हैं जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मांग है। वर्तमान में, राज्य के कुल फसल वाले क्षेत्र के 6.4 प्रतिशत क्षेत्र में बागवानी की जाती है। इसे 10 प्रतिशत बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। राज्य के बहुत कम क्षेत्र में मसालों, औषधीय तथा सुंगधित पौधों की खेती की जाती है। राज्य का फलों की खेती वाला कुल क्षेत्र 1966–67 में 7.86 हजार हैक्टर था, कुल उत्पादन 27.53 हजार टन था और उत्पादकता 3.5 टन/हैक्टर थो जो 2010–11 के अंत तक क्रमशः 46.25 हजार हैक्टर, 356.6 हजार टन और 13.04 टन प्रति हैक्टर हो गई। वर्ष 1966–67 के दौरान 11.30 हजार हैक्टर क्षेत्र में सब्जियों की खेती होती थी, इनका कुल उत्पादन 135.36 हजार टन था और औसत उत्पादकता 11.97 टन थी जो 2010–11 के दौरान बढ़कर क्रमशः 465 हजार हैक्टर 4649.28 हजार टन और 13.42 टन हो गई। राज्य में 1966–67 के दौरान फूलों की खेती बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन 1910–11 तक 6.3 हजार हैक्टर क्षेत्र में फूला की खेती होने लगी। इसी प्रकार खुम्बी की खेती 1989–90 की तुलना में 2010–11 के अंत में काफी बढ़ गई। इसका उत्पादन 8000 टन हो गया और औसत उत्पादकता 6. 07 कि.ग्रा./ट्रे हो गई और अब हरियाणा देश का एक अग्रणी खुम्बी उत्पादक राज्य है। इसके विपरीत हरियाणा म खुम्बी की खपत नहीं होती है। अतः विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय खुम्बियों के साथ खुम्बी का निर्यात भावी कार्यनीति होनी चाहिए। अधिक लाभ मिलने के कारण सुंगधीय पौधों की खेती भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण बागवानी फसलों की उत्पादकता में परिवर्तन अब तक प्राप्त होने वाली श्रेष्ठ उपलब्धियों से परिलक्षित हो रहे हैं। बागवानी मिशन के अंतर्गत इसे बढ़ाने के और प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा के किसानों के लिए बागवानी को एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाने के लिए अति उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयाग के प्रयास किए जाएंगे। उदार ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराके बड़े क्षेत्रों में संरक्षित खेती को अपनाने तथा अधिक से अधिक क्षेत्र में संकरों को उगाने पर अधिक बल दिया जाएगा। किसानों की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को मांग के अनुकूल बनाया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उचित प्रबंधन विधियां विकसित करने, प्लास्टिकल्चर के उपयोग, फर्टिगेशन और पलवार बिछाने पर बल दिया जाएगा, ताकि बागवानी फसलों का वाणिज्यिक स्तर पर गहन उत्पादन लिया जा सके। विशेष रूप से आंचल III में कृषि वानिकी प्रणालियों सहित शुष्क बागवानी प्रौद्योगिकी पर नए अवसरों को तलाशा जाएगा और फलों व सब्जियों तथा देसी वनस्पतियों का उपयोग करके उपयोगी खाद्य पदार्थ व न्यूट्रास्यूटिकल्स विकसित किए जाएंगे। कृषि बागवानी के लिए बहुवर्षीय फलों, कृषि वानिकी के लिए वृक्ष प्रजातियों का रोपण करके व सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करके इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया जाएगा और इसके साथ अनेक फसलों का उच्च उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए परागकों के रूप में मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हिंटर भूमि बागों को रिहायशी/वाणिज्यिक क्रियाकलापों हेतु अधिग्रहण से बचाया जाएगा।

उत्पादकता संबंधी चुनौतियों से निपटना

- संकरों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को लाना
- संरक्षित खेती को बड़े पैमाने पर अपनाना
- किस्मों और संकरों तथा देसी वनस्पतियों का उपयोग करके व्यवहारशील खाद्य पदार्थों और न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकास
- शुष्क बागवानी को बढ़ावा देना
- खुम्बी उत्पादन तथा परागकों के रूप में मधुमक्खियों को पालने पर विशेष बल देना

5.2.3 पशुधन उत्पादकता

राज्य में 1978–79 के दौरान दूध, अण्डों, ऊन तथा मांस का उत्पादन क्रमशः 18 लाख टन, 1567 लाख, 8.14 लाख कि.ग्रा. और 28.79 लाख कि.ग्रा. था जो 2010–11 में बढ़कर क्रमशः 62.67 लाख टन, 39641 लाख, 12.87 लाख कि.ग्रा. और 125.27 लाख कि.ग्रा. हो गया। मुर्रा भैंस तथा हरियाणा और साहीवाल नस्लों के गोपशुओं की श्रेष्ठ व परीक्षित (प्रमाणित) संततियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि इनका आनुवंशिक सुधार हो सके और विशेष वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए राज्य में मुर्रा के वीर्य की लिंग–छंटाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही भ्रूण हस्तांतरण की आधुनिक प्रौद्योगिकी आरंभ की जाएगी। श्रेष्ठ सांडों क लिंगित वीर्य को और अधिक आनुवंशिक सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गांवों में मूल नैदानिक सेवाओं की कमी है। अतः 'पहियों पर प्रयोगशाला' की सुविधा आरंभ की जाएगी। बीज ग्राम संकल्पना के आधार पर वीर्य उत्पादन और आनुवंशिक सुधार के लिए मुर्रा गांव की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। संकर नस्ल तथा उच्च पैदावार देने वाले पशुओं को संतुलित आहार और चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, ताकि दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सके। बरसीम उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। दूध तथा पशुधन से संबंधित अन्य उत्पादो का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में गोपशुओं के संकर प्रजनन, नर भैंसों के कटड़ों के प्रबंध और चुक गए पशुओं के प्रबंध, आवारा सांडों पर प्रतिबंध, राज्य से उच्च दूध देने वाली भैंसों के पलायन

पशुधन उत्पादकता से संबंधित चुनौतियां

- प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य पर केन्द्रित पशु प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण
- पशुधन, छोटे रोमंथियों, कुक्कुटों और मछलियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन केन्द्र
- परीक्षित श्रेष्ठ नस्ल के सांडों की संततियों का उपयोग
- गुणवत्तापूर्ण चारा बीजोत्पादन पर विशेष बल
- मुर्रा भैंस और साहीवाल गायों में लिंगित वीर्य का उपयोग
- भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग
- पशुधन मिशन की स्थापना

पर रोक, सभी दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना लागू करने, कठोर संगरोध क्रियाविधियां अपनाकर पशुओं के पेट के कीड़ों को मारने के लिए प्रोत्साहन देकर खनिज मिश्रण का उत्पादन करके व उनकी आपूर्ति बढ़ाकर स्वच्छ दूध उत्पादन और उसकी बिक्री करके, मूल्यवर्धन, उद्यमशीलता के विकास, भंडारण के लिए शीत श्रृंखला के सृजन और दूध को लाने ले जाने की सुविधा, दूध दूहने की मशीनों को बढ़ावा देकर तथा सामुदायिक पशु बाड़े, आवास का निर्माण करके, पशु चिकित्सा तकनीकीविदों की संख्या बढ़ाकर, मुर्रा भैंस पर बौद्धिक संपदा अधिकार (जीआई और सू–जेनेरिस) लागू करके, संगठित डेरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिताओं व स्वयं–सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने, प्रजनक एसोसिएशनों आदि के निर्माण के लिए उचित नीति सुनिश्चित की जाएगी। गुजरात राज्य में लोकप्रिय पशु होस्टल मॉडल, अपनाकर, गांवों को स्वच्छ रखकर, गोबर, बायोगैस और बिजली संबंधी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उपाय आजमाए और परीक्षित किए जाएंगे। पशुओं की अनिवार्य पहचान व उनके टीकाकरण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। पशुधन उत्पादन के लिए चारे के महत्व को देखते हुए चारा बीज उत्पादन का उत्तरदायित्व पशुपालन विभाग तथा कृषि विभाग, दोनों के बीच स्पष्ट रूप से सौंपा जाएगा। उन्नत उच्च उपजशील किस्मों/संकरों के चारा बीज उत्पादन हेतु 5 वर्षीय रोलिंग योजना तैयार करके लागू की जाएगी। भैंसों और गायों से प्राप्त होने वाले दूध का योगदान वर्तमान में क्रमशः 83 और 17 प्रतिशत है जिसे पुनः डिज़ाइन करके क्रमशः 70 और 30 प्रतिशत बनाया जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत वर्तमान शहरी समाज में कम वसा वाले दूध की अधिक मांग है। भैंसों तथा गायों में कृत्रिम गर्भाधान को अगले पांच वर्षों में वर्तमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक 3000 गोपशुओं की इकाइयों के लिए सक्षम और प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों/सम पशुचिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में पशुधन क्षेत्र से दीर्घावधि में 6–8 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित की जाएगी।

5.2.4 मत्स्य उत्पादकता

राज्य में वार्षिक मत्स्य उत्पादन वर्ष 1966 में 600 टन था जो 2010–11 में बढ़कर 94 हजार टन हो गया। प्रति हैक्टर प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादकता भी बढ़ी है जो 4,576 कि.ग्रा. से बढ़कर 2010–11 में 5,500 कि.ग्रा. हो गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि दर 11.8 प्रतिशत थी जिसे उचित नीति तथा प्रौद्योगिकीय सहायता से और बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में सरकार ने 20 मत्स्य स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, 14 जलजंतु पॉलीक्लीनिक और एक राज्य स्तर की नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित की है। वांछित मछली जीरा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य देखभाल, आहार संबंधी सेवाएं तथा मत्स्य किसानों के लिए अनुसंधान और मानव संसाधन संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन सुविधाओं को सबल बनाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही वैधानिक प्रावधानों को भी तर्कसंगत किया जाना चाहिए। जल एवं बिजली प्रभारों को तर्कसंगत बनाते हुए इन्हें फसलोत्पादन के समकक्ष लाया जाना चाहिए। पट्टे संबंधी नीति की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि लम्बी अवधि के लिए तालाबों व अन्य जल स्रोतों को ठेके पर दिया जाना सुनिश्चित हो सके। मत्स्य जैव–विविधता संरक्षण के उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। इस क्षेत्र में मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता से निपटने के लिए राज्य के किसी उपयुक्त स्थान पर मात्स्यकी

मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना

- बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए मत्स्य विविधीकरण
- मत्स्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार संबंधी सुविधाओं को सबल बनाना
- प्रसंस्करण मानकों के साथ गुणवत्तापूर्ण मछली जीरा और आहार पर विशेष बल देना
- विभिन्न स्तरों पर वांछित संस्थाओं तथा सक्षम मानव संसाधन का विकास

विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मछली की प्रजातियों तथा क्षेत्रों में विविधीकरण लाया जाएगा और इसमें खारे जल के संसाधनों तथा बंजर या बेकार पड़ी भूमियों का उपयोग करते हुए उचित अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण आधारित कम लागत वाली प्रग्रहण के पश्चात अपनाई जाने वाली प्रसंस्करण विधियों तथा मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विविधीकृत मत्स्य उत्पादों की उपयोगिता सुनिश्चित हो सके और राज्य के मछली पालकों व किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

5.3 गौण कृषि

प्राथमिक कृषि (अनाजों, गन्ना, ग्वार, कपास, फलों, सब्जियों और दूध) में अग्रणी बने रहते हुए अब उचित समय आ गया है कि हरियाणा गौण कृषि (प्राथमिक उपज के मूल्यवर्धन) के स्तर को सुधारने पर विशेष ध्यान दे।

5.3.1 आला क्षेत्र

गौण कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य को भैंस के दूध का उपयोग करते हुए मोजरेला चीज़ के उत्पादन, बासमती चावल, ग्वार उत्पादन, खुम्बी उत्पादन, कृषि पर्यटन आदि के लिए जिंस/उद्यम मूल्य वाली श्रृंखला दृष्टिकोण को अपनाना होगा। डेरी पालन, बासमती चावल, कुक्कुट पालन और मछली पालन के लाभों के बारे में अनुभाग 3 में पहले ही पर्याप्त सूचना दी जा चुकी है। ग्वार एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है और विश्व की ग्वार गोंद की कुल मांग का लगभग 80 प्रतिशत भाग भारत द्वारा पूरा किया जाता है। हरियाणा में ग्वार की गोंद का उत्पादन लगभग 1 लाख टन है जो राष्ट्रीय उत्पादन का 11 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में 2010–11 को समाप्त हुए 3 वर्ष की अवधि के दौरान ग्वार के बीज और उत्पादन का क्षेत्र क्रमशः 2.92 लाख हैक्टर और 4.27 लाख टन था। राज्य में उत्पन्न लगभग 75 प्रतिशत ग्वार का इसके गोंद तथा अन्य व्युत्पन्नों के रूप में निर्यात किया गया। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा में ग्वार प्रसंस्करण की पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, अतः यह प्रसंस्करण के लिए पड़ोस के राज्य राजस्थान में भेजा जाता है। ग्वार के बीजों को प्रसंस्करण के लिए राजस्थान में भेजने का एक अन्य आकर्षण उस राज्य में 'वैट' का कम होना है। राज्य आधुनिक प्रसंस्करण युक्तियां स्थापित करने और उपयुक्त स्थानों पर गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता देगा तथा इस फसल के विपणन पर निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। यह राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के समान अपने कर ढांचे को भी तर्कसंगत बनाते हुए उसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा। ग्वार में मूल्यवर्धन तथा निर्यात द्वारा अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए ग्वार गोंद जैसे व्युत्पन्नों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।

उपलब्ध अवसरों का उपयुक्ततम लाभ उठाना

- बासमती चावल और मुर्रा भैंस को महत्व देना
- खुम्बी के विविधीकरण, उच्च उत्पादन तथा मूल्यवर्धन पर बल देना
- ग्वार उत्पादन को बढ़ाना और उसका मूल्यवर्धन करना
- कृषि पर्यटन/फार्म पर्यटन
- अति उत्कृष्ट स्तर का बुनियादी ढांचा व सार्वजनिक–निजी भागीदारी के लिए नीति निर्धारित करना
- उद्यमशीलता के विकास के लिए प्रशिक्षण
- कर संबंधी बुनियादी ढांचे को तर्क संगत बनाना
- गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन

यह राज्य गुणवत्तापूर्ण बटन खुम्बी के अग्रणी उत्पादक के रूप में उभरा है। इस शक्ति को विविधीकरण, बढ़े हुए उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा उच्च मूल्य वाली खुम्बियों के विपणन/निर्यात और चिकित्सीय मूल्य की अन्य कवक प्रजातियों के विपणन व निर्यात के माध्यम से और सबल बनाया जाना चाहिए।

इन उद्यमों से अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तथा हरियाणा में इनका प्राकृतिक व्यापार लाभ लिया जा सकता है और इस प्रकार यह राज्य इन जिंसों के उत्पादन के मामले में सोने की खान सिद्ध हो सकता है।

यह राज्य दूध, मांस, कुक्कुट व मात्स्यकी के लिए शीत श्रृंखलाओं/मूल्यवर्धन श्रृंखलाओं/आपूर्ति तथा बासमती चावल और खुम्बी उत्पादन के मामले में अगले पांच वर्षों में अपने निवेश को दगना करेगा। मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि–जीवविज्ञानी तथा सामाजिक–आर्थिक लाभ देते हुए विशेष कृषि–व्यापार आंचल सृजित करेगा जहां उत्पादन, एसेम्बलिंग/एग्रीगेशन, श्रेणीकरण और मानकीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, फुटकर बिक्री, मूल्य–निर्धारण, बाजार बुद्धिमत्ता, ऋण और जोखिम संबंधी बीमे, तकनीकी सहायता व समर्थन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलीकरण व निर्यात जैसे पहलुओं पर अंतनिर्मित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे। कृषि विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केन्द्र स्थापित करके, उत्पादक क्षेत्रों में टैक्नोलॉजी पार्कों/खाद्य पार्कों/बहु जीसों/बहु उत्पाद परिसरों का गठन करके और गहन उद्यमशीलता प्रशिक्षण देकर तथा विकास संबंधी क्रियाकलाप चलाकर अनुसंधान एवं विकास को सबल बनाया जाएगा। सड़कों (सभी मौसम में उपयुक्त सड़कों, पक्की फार्म सड़कों), वातानुकूलित परिवहन, शीत गृहों, विभिन्न बाजारों में भंडारागारों की सुविधाएं उपलब्ध कराके, भंडारित उत्पाद के कुल मूल्य के 70 प्रतिशत तक पर सस्ता ऋण व नकद पेशगी का प्रावधान करके, श्रेणीकरण व मानकीकरण के द्वारा खाद्य गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करके तथा पशुओं की उर्वरता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें वृहत पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराके सार्वजनिक–निजी साझीदारी के मोड में अति उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर बल दिया जाएगा। व्यापार से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के अनुकूल अपनी स्वयं की आयात–निर्यात नीति बनाएगा। राज्य कार्य नीतिपरक स्थल पर विशेषतः अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष व्यापार केन्द्र स्थापित करेगा जहां से ग्वार का गोंद, मोजरेला चीज़, आर्गेनिक बासमती चावल, गेहूं तथा गेहूं के उत्पाद, चिकित्सीय खुम्बियों, मुर्रा नस्ल आदि का सुविधापूर्वक निर्यात हो सकेगा। राज्य प्रभावी वापसी खरीद की व्यवस्था करके, कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हुए उत्पादक कंपनियों/सहकारिताओं/स्वयंसेवी समूहों और ठेके पर कृषि को बढ़ावा देगा और सहायता उपलब्ध कराएगा। फलों और सब्जियों के मामले में बाजार की सीमाओं पर लगे प्रतिबंधों को छूट देने के लिए कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करके विपणन के क्षेत्र में उपयुक्त सुधार किए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य में तथा राज्य के बाहर कृषि उत्पाद के लाने–ले जाने पर प्रतिबंधों को उचित ढंग से समायोजित किया जाएगा। उचित सुधारों आदि के साथ ठेके पर खेती की नियमावली (2007) को लागू किया जाएगा। सड़क के किनारे लगने वाले बाजार छोटे उत्पादकों के लिए आकर्षक अवसर बनकर उभर रहे है जहां वे अपने फलों व सब्जियों जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों को लाभदायक दरों पर बेच सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उचित स्थानों पर सड़क के किनारे छोटे बिक्री केन्द्र विकसित किए जाएंगे और यहां प्राथमिक उत्पादकां को अपने उत्पाद बेचने पर किसी भो प्रकार की लेवी या कर आदि नहीं देना होगा।

आय के बढ़ने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि के साथ जैविक विधि से तैयार या उत्पन्न की गई कृषि जिसों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने में बहुत अधिक सहायक है और इससे किसानों को उच्च लाभ भी सुनिश्चित होता है। यह राज्य राष्ट्रीय राजधानी के बहुत निकट है और यहां तैयार बाजार भी उपलब्ध है। अतः इस बात के सभी प्रयास किए जाएंगे कि किसानों को आरंभिक उत्पाद तैयार करने में अधिक सुविधा दी जाए। आरंभिक अवस्था में आर्गेनिक या जैविक खेती करने वाले किसानों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। राज्य आर्गेनिक उपज/उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए वांछित सुविधाएं स्थापित करने हेतु व्यापक प्रबंध करेगा।

हरियाणा में लाभ उठाने के क्षेत्रों में से एक अन्य क्षेत्र कृषि/फार्म पर्यटन को अपनाना है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है क्योंकि राज्य के अनेक जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित हैं। हरियाणा में उच्च मार्गों/मुख्य सड़कों पर भली प्रकार प्रबंधित 28 मोटल हैं जो राज्य के महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों से गुजरन वाली सड़कों के किनारे स्थित हैं। इन्हें कृषि पर्यटन हबों के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा तथा यात्रा और ठहरने, व्यापार, ग्रामीण कला व दस्तकारी,

विशेष प्रकार के व्यंजनों, संस्कृति और परंपराओं की दृष्टि से भली प्रकार निर्धारित ग्रामीण हिंटरलैंड से जोड़ा जाएगा। राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थान हैं जैसे सूरजकुंड, बड़कल झील, पिंजौर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आदि। हरियाणा में पर्यटन से होने वाली आय 2006–07 के दौरान 172 करोड़ रुपये थी जो 2010–11 में बढ़कर 265.32 करोड़ रुपये हो गई।

राज्य में पर्यटन विभाग 21 फार्म स्वामियों की साझेदारियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट ग्रामीण इलाके में इन फार्मों में विशेष देश छुट्टी पैकेज प्रदान कर रहा है। यह पहल बहुत लोकप्रिय हो चुकी है और इसकी मांग दिनोंदिन बढ़ रही है। इस पहल को तेजी से व गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। सूरज कुंड मेले और बड़कल झील के भ्रमण की लोकप्रियता ऐसे उदाहरण हैं जो राज्य में कृषि पर्यटन की असीमित क्षमता को उजागर करते हैं। राज्य का पर्यटन विभाग सामुदायिक भागीदारी से इन पहलों को एक जन–आंदोलन बनाने के सभी प्रयास करेगा।

5.4 नवोन्मेषी कृषि

नवोन्मेष कृषि भावी सफलता की कुंजी हैं। यदि हरियाणा राज्य को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है और चोटी पर बने रहना है तो इसे अपने क्रियाकलाप अलग ढंग से सम्पन्न करने होंगे तथा इनमें अधिक सृजनात्मकता लाते हुए दूरदृष्टि को अपनाना होगा ओर गहरा लगाव उत्पन्न करना होगा। इसमें निवेशों को बढ़ाना होगा और कार्यक्रमों व क्रियाकलापों की प्राथमिकता तय करनी होगी। यद्यपि इस संबंध में सभी दृष्टिकोण विज्ञान/प्रौद्योगिकी/नवोन्मेष केन्द्रित होना चाहिए, लेकिन पुनर्गठित और अधिक सबल निवेश, सेवा व आपूर्ति/प्रदानीकरण प्रणाली से युक्त पर्यावरण सृजित करना, ऋण तथा बीमा सुविधाओं का पुनरावलोकन करना, विपणन और मूल्य प्रणाली को समायोजित करना तथा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संरचना, संगठन तथा इन प्रणालियों/सेवाआ के कार्यों में मात्रात्मक व गुणवत्तापूर्ण सुधार होना चाहिए, ताकि ये पहले से अलग हों। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों को कार्यात्मक या वित्तीय दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यनीति किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने की होनी चाहिए जो अन्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक मूल और जटिल हो। खाद्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, यह मार्ग अब बेहतर पोषण, उच्च व अधिक आय और रोज़गार तथा अंततः सकल आजीविका सुरक्षा की दिशा में निर्देशित होना चाहिए। कार्यनीतियों को परिणाम और उपलब्धियों में परिवर्तित करने के लिए उचित नीतियां बनाई जानी चाहिए। विशेष रूप से परिनगरीय कृषि के क्षेत्र में संरक्षित खेती और ठोस अपशिष्ट प्रबंध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सब्जी वाली सोयाबीन, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न को परिनगरीय क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाएगा। राज्य बरसीम व इसके बीजों के विशेषीकृत उत्पादन के लिए आय सृजन और मृदा में सुधार हेतु उपयुक्त अवसरों को तलाशेगा जो अभी कम मात्रा में उपलब्ध है और जिसके मूल्य अधिक हैं।

5.4.1 डेरी आधारित समेकित कार्य प्रणाली

चूंकि हरियाणा को डेरी व्यवसाय बढ़ाने का प्राकृतिक आर्थिक लाभ प्राप्त है, अतः इस राज्य की नीति डेरी आधारित फार्मिंग प्रणाली पर केन्द्रित होनी चाहिए। यह राज्य संगठित डेरी को प्रोत्साहित करने व सहायता प्रदान करने के लिए तीन स्तरों पर विचार करेगा, नामतः छोटे, मझोले और बड़े पैमाने की डेरियों का ध्यान रखा जाएगा। छोटे डेरी मालिक मुख्यतः आहार के लिए फसल अपशिष्टों और उपोत्पादों पर निर्भर हैं तथा श्रम संबंधी निवेश के रूप में इनके परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। चूंकि डेरी उद्योग में 70 प्रतिशत व्यय पशुओं के चारे पर किया जाता है, अतः चारे और आहार संबंधी संसाधनों के विकास/समृद्धिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य कृत्रिम गर्भाधान की गहन सेवाओं पर ध्यान देते हुए प्रजनन नीति को अपनाएगा जिसके अंतर्गत प्रमाणित वीर्य से युक्त सभी प्रजनन स्टॉक को लाया जाएगा। व्यावहारिक सीमा तक प्रमाणित सांडों के माध्यम से ही गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुर्वर पशुओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए चमड़ा सहित अन्य उपयोगों जैसे केंचुए की खाद, जैव–उर्वरकों तथा गोबर व पशुओं के मूत्र से प्राप्त होने वाले नाशकजीवनाशियों तथा अन्य पशु अपशिष्टों/उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। छह माह की आयु के प्रत्येक बछड़े या कटड़े के लिए खनिज मिश्रण और पेट के कीड़े मारने की औषधियों से युक्त मुफ्त किटों का प्रावधान किया जाएगा। चारा उत्पादन के लिए राज्य के पशुपालन विभाग में एक विशेष कोष्ठ के सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। देसी नस्ल के

पशुओं जैसे हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर आदि के संरक्षण के लिए गौशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। मोबाइल फोनों सहित आईसीटी युक्तियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक–निजी भागीदारी के मोड के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। पशुचिकित्सा, डेरी, पशुपालन विस्तार पृष्ठभूमि से युक्त जनशक्ति को भर्ती करके विशेषज्ञतापूर्ण विस्तार सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। एंटीबायोटिक्स, औषधियों, पशुओं/मत्स्य उत्पादों में आविषालुता कारकों के अपशिष्ट परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के एक संजाल की स्थापना की जाएगी। डेरी तकनीकीविदों और किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य प्रबंध पर डिप्लोमा तथा व्यावसायिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों, सहकारिताओं, प्रजनक एसोएिसशनों और उत्पादक कंपनियों को मूल्यवर्धन तथा फार्वर्ड/बैकवर्ड सम्पर्कों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य 'पशुधन मिशन' (जो प्रस्तावित है) के अंतर्गत डेरी आधारित फार्मिंग प्रणाली को अपनाएगा। मोजरेला चीज़, डिज़ाइनर स्वास्थ्य उत्पादों/डेरी उत्पादों/फलों, मोटे अनाजों के मिश्रण का उपयोग करते हुए पेयों को तैयार करने सहित दूध और डेरी उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों को अधिक आय हो और जन–सामान्य को अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। उचित अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता और नीतिगत समर्थन के माध्यम से स्वच्छ व आर्गेनिक दुग्धोत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। जल एवं बिजली प्रभार, ऋण सुविधाओं तथा कर निर्धारण को फसलोत्पादन के समतुल्य लाया जाएगा।

डेरी आधारित फार्मिंग प्रणाली दृष्टिकोण

- डेरी आधारित फार्मिंग प्रणालो को बढ़ावा देना
- प्रमाणीकृत सांडों का उपयोग
- पशुओं के लिए संतुलित आहार
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना
- चारा बैंकों की स्थापना
- गौशालाओं का संजाल
- डेरी तकनीकीविदों तथा सम पशुचिकित्सकों (पैरावैट्स) के प्रशिक्षण को प्राथमिकता

5.4.2 वितरण प्रणाली

हाल ही के वर्षों में कृषि में निम्न निष्पादन का एक मुख्य कारण अपर्याप्त और अकुशल प्रदानीकरण प्रणाली को बताया गया है। अतः इस प्रणाली को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसानों के घर के दरवाजे के पास वांछित मात्रा में, विशिष्ट गुणवत्ता वाले निवेश वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध हो सके। चूंकि बीज खेती में सबसे महत्वपूर्ण निवेश है, अतः उच्च गुणवत्ता वाले उच्च उपजशील किस्मों और संकर बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार, नर्सरियों की स्थापना और सब्जी बीजों के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। रोलिंग योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित करने तथा बीज ग्राम योजना को लागू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। चूंकि फसल के अच्छे जमाव के लिए बीज का उपचार मूल आवश्यकता है, अतः बीज उपचार/प्राइमिंग को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। चूंकि संकर बीज (जैसे बीटी कपास) महंगे हैं, अतः इसके लिए विनियमनकारी/प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाविधि तैयार की जाएगी। बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। चूंकि नकली निवेशों की आपूर्ति की शिकायत बढ़ रही हैं, अतः किसानों/बाजार/उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और मानक निवेश उपलब्ध कराने के लिए इनकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा निवेशों और उत्पादों के परीक्षण व प्रमाणीकरण की सुविधाएं और विकसित की जाएंगी। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रणाली को स्थापित करके/सबल करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सुविधाएं उत्पादन क्षेत्रों के नजदीक हों और किसी भी हालत में गांवों से 10 कि.मी. की अधिक दूरी पर न हों। समय–समय पर राज्य ने कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां, नियम व क्रियाविधियां निर्धारित की हैं। तथापि, अक्सर यह शिकायत की जाती है कि चूंकि इन्हें कड़ाई से नहीं लागू किया जा रहा है, अतः इनका पूरा लाभ किसानों और उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा है। उचित प्रोत्साहनों सहित सभी कानूनों/नियमों को कड़ाई से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में तो पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नहीं। कृषि में बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण तथा बाजार पर अधिक

निर्भरता के कारण किसानों के घर के दरवाजे पर ग्रामों में अनेक कृषि तथा संबंधित सेवाओं में वृद्धि हुई है। इन सेवाओं को और फलने–फूलने देने से ग्रामीण रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। सहायी और सक्षम सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि स्नातकों/प्रशिक्षित खेतिहर युवाओं और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले कृषि–सेवा/कस्टम हायरिंग केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए प्रोत्साहन, वित्त प्रावधान किए जाएंगे तथा प्रशिक्षण और लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाएगी। नील गाय का उत्पात बहुत बढ़ गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत आम समस्या है। वन अधिनियम और पशु कल्याण अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के अलावा नर और मादा दोनों नील गायों के संभावित वंध्यकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा किसानों को अपने बागों तथा कुछ अन्य फसलों को नील गाय से बचाने के लिए खेतों ओर बागों के चारों ओर बाड़ लगाने /बिजली युक्त बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक निवेश खरीदने हेतु किसानों को अनुदान दिए जाएंगे तथा किसी उपयुक्त निकट स्थान पर ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के अतिरिक्त अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाएंगे। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में निष्पादन को प्रोत्साहित करने और मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार, युवाओं को खेती के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्राथमिक और सैकेंडरी विद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। श्रमिकों की गहन कमी को दूर करने के लिए फार्म क्रियाओं जैसे : गन्ने की कटाई और सफाई, बारानी फसलों में यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण, धान रोपाई यंत्रों, बहु–फसल रोपाई यंत्रों, खेतिहर महिलाओं के लिए विशिष्ट औजारों व उपकरणों पर विशेष बल दिया जाएगा। मशीनरी तथा उपकरणों जैसे रीपर, शून्य जुताई ड्रिलों, लेज़र समतलीकरण यंत्रों आदि के लिए वांछित अनुदान दिया जाएगा। आयातित बीजा, रोपण सामग्री, वीर्य तथा टीकों की जांच के लिए संगरोध तथा परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी और इन प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। समान पूंजी, बैंक ऋणों तथा बेहतर मानव संसाधन से युक्त निवेश संगठन उपलब्ध कराए जाएंगे।

कारगर वितरण प्रणाली

- किसानों के घर के दरवाजे पर वांछित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण निवेशों की समय पर आपूर्ति
- बीज ग्राम योजना और रोलिंग योजना को आरंभ करना
- गुणवत्ता के लिए निवेशों/उत्पादों का प्रमाणीकरण
- सभी कानूनों/नियमों/विनियमों को कड़ाई से लागू करने पर बल
- कृषि स्नातकों/प्रशिक्षित कृषि युवाओं के माध्यम से कृषि व्यापार सेवाएं
- अच्छा निष्पादन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार
- समय पर कृषि कार्यों को सम्पन्न करने के लिए फार्म यंत्रीकरण
- कृषि पर 24 x 7 चलने वाला टीवी चैनल
- आयातित सामग्री का संगरोध परीक्षण
- किसानों, खेतिहर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण
- ग्रामीण फार्म इतर उद्यमों पर बल

वर्तमान विस्तार प्रणाली को और उन्नत बनाने के लिए आईसीटी के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण तथा ज्ञान के प्रति सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाई जाएगी। कृषि में 24x7 टीवी चैनल चलाया जाएगा। कृषि संबंधी सर्वश्रेष्ठ कार्यों पर सीडी तैयार की जाएंगी और इन्हें व्यापक रूप से बांटा जाएगा। किसानों को किसानों द्वारा सिखाने के लिए कृषक खेत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। चूंकि नई–नई खोजों तथा सर्वश्रेष्ठ कृषि कार्यों के प्रति जागरूकता में कमी नई तकनीकों को कम स्तर पर अपनाने का मुख्य कारण बताया जाता है। अतः सबसे अधिक ध्यान किसानों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने पर दिया जाएगा जो आगे चलकर कृषि प्रचारक के रूप में कार्य करगे। यह प्रशिक्षण महिलाओं, व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं (विशेषकर निवेश डीलरों), विकास कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, सहकारी समिति के सदस्यों और उत्पादक कंपनियों को उनके अपने–अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भी दिया जाएगा। प्रमाणित परंपरागत बुद्धिमत्ता के प्रलेखन,

परीक्षण और उपयोग को भी सुनिश्चित किया जाएगा। आम लोगों के आहार की आदतों में होने वाले परिवर्तन की गति को देखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि कृषि में अगली क्रांति कृषि प्रसंस्करण/कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से होगी। विविधीकरण और वांछित निवेशों, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान एवं विकास सहायता, विस्तार, उद्यमशीलता प्रशिक्षण, प्रोत्साहनों, वित्तीय प्रावधानों, विपणन तथा नीतियों पर बल देते हुए इन्हें बढ़ावा देने के लिए इन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म इतर उद्यमों से होने वाली आय में वृद्धि हुई है (अनेक मामलों में 50 प्रतिशत तक), अतः ऐसे उद्यमों को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। चूंकि हरियाणा के अनेक जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट हैं, अतः परिनगरीय कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता और सहायता प्रदान की जाएगी। उपयुक्त प्रोत्साहनों के माध्यम से संरक्षण कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों द्वारा की जाने वाली नई खाजों को मान्यता देकर उनकी जांच–परख करते हुए उन्हें अनुकूल बनाया जाएगा।

5.4.3 ऋण प्रणाली

ऋण किसी भी उत्पादन प्रणाली की जीवन रेखा है। किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी (इनमें पट्टेदार किसान/खेतिहर महिलाएं भी शामिल हैं), ताकि सामुदायिक उत्पादन में वृद्धि की जा सके। निराशा में की जाने वाली बिक्री से बचने तथा छोटे और सीमांत किसाना को सहायता पहुंचाने के लिए निम्न ब्याज दर पर ऋण दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसी सम्पत्ति पर किसानों को और ऋण दिलाने में सहायता पहुंचाने के लिए बैंकों द्वारा भूमि को गिरवी रखने के नियमों को विनियमित किया जाएगा तथा भूमि के मूल्य के अनुसार ऋण की राशि स्वीकृत की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर वर्तमान में लिए जाने वाले स्टैम्प शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा तथा ऋण जारी करने की क्रियाविधि को और सरल बनाया जाएगा। किसान क्रैडिट कार्ड जारी करने में लगने वाले समय को घटाकर 6 माह से कम किया जाएगा।

ऋण आपूर्ति सुनिश्चित करना

- एक निश्चित अवधि में सभी किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड देना
- कम ब्याज दरों पर ऋण की पर्याप्त मात्रा में समय पर आपूर्ति
- उत्पाद के एवज़ में अल्पावधि ऋण का प्रावधान
- पट्टेदारों सहित सभी किसानों को ऋण
- खपत ऋण का प्रावधान

दीर्घावधि आधार पर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूंकि किसान बहुत कम बचत कर पाते हैं/बिल्कुल बचत नहीं कर पाते हैं और अपने उत्पाद पर ऋण प्राप्त करते हैं, अतः मध्यम और दीर्घावधि दोनों प्रकार की ऋण आपूर्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है चूंकि बुनियादी ढांचे के लिए भूमि विकास संबंधी क्रियाकलाप वर्तमान में व्यवहारिकतः बिल्कुल नहीं हैं; अतः मध्यम और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहनपूर्ण स्कीम लागू की जाएगी। कृषि संबंधी ऋण के मामले में एक और कमी खपत ऋण का न होना है। चूंकि खपत जीवन का अनिवार्य अंग है, विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों के लिए, अतः जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तब तक ऋणों के लिए निर्धारित राशि किसी और प्रयोजन से उपयोग करने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहेगी। अतः सकल ऋण प्रणाली में इस पहलू पर विचार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ऋणदाताओं की संस्थाओं ने अभी तक अच्छे ढंग से सेवाएं प्रदान की हैं और इनसे कुछ स्पष्ट लाभ मिले हैं। इनसे और अधिक लाभ लेने के लिए उपयुक्त सुधार तथा संस्थागत क्रियाविधि लागू की जानी चाहिए जैसे बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदानीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.4.4 जोखिम और अनिश्चितता प्रबंधन

खेती संबंधी अनेक क्रियाओं में जोखिम और अनिश्चितताएं अनिवार्य हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें वृद्धि हो रही है। किसान के लिए प्राकृतिक आपदा से बुरी बात और कोई नहीं है। अनिश्चित मौसम, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ों/सूखों, महत्वपूर्ण निवेशों की कमी के संबंध में

जल्दी सूचना देने/चेतावनी प्रणाली को सुनिश्चित करते हुए सबल बनाया जाएगा। किसानों की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक आपदाओं से जिला स्तर पर निपटने की बजाय ब्लॉक स्तर पर निपटने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त फसलों/उद्यमों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के मामले में किसानों को जब तक राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा अंतिम मूल्यांकन करके निर्णय में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक अंतरिम वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। क्षतिपूर्ति तथा ऋण लौटाने का समय बढ़ा देना या कर्ज माफ करना सही उपाय नहीं है। इसके स्थान पर वर्तमान स्थितियों में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रकृति तथा प्राकृतिक आपदाओं की सीमा को देखते हुए किसानों की उचित आवश्यकता के अनुरूप ऋण वसूली को क्रमिक ढंग से समायोजित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

गेहूं तथा अन्य फसलों में फूल आने के समय पाले, चक्रवातों, बाढ़ों तथा अत्यधिक गर्मी से होने वाली क्षति जोखिम के महत्वपूर्ण घटक हैं और इनसे उपयुक्ततापूर्वक निपटा जाएगा। जोखिम का प्रबंध करने के लिए सभी प्रमुख फसलों और मात्स्यकी सहित पशुधन के लिए वृहत कृषि बीमा योजना लागू की जाएगो। वर्तमान पशुधन बीमा योजना में मौजूद सभी कमियों (जैसे एक किसान को केवल दो पशुओं का बीमा कराने के लिए सीमित करना और केवल बाढ़ और सूखे से होने वाली पशुओं की मृत्यु पर बीमे की राशि को दिया जाना, रोग से मृत्यु होने पर नहीं; स्थायी उत्पादन तथा प्रजनन हानियों के लिए बीमा न किया जाना; मात्स्यकी के अलावा गोपशुओं और भैंसों को छोड़कर छोटे पशुओं व अन्य पशु प्रजातियों के लिए बीमे की व्यवस्था न होना) को दूर किया जाएगा। राज्य किसानों से अनुकूल वर्षों में उचित अंशदान लेते हुए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करेगा। एक प्रगतिशील उपाय के रूप में राज्य जिन किसानों के पास किसान क्रैडिट कार्ड है, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को पायलट पैमाने पर लागू करेगा और इसके साथ ही इसकी उपयोगिता, लागत तथा अन्य निहितार्थों का मूल्यांकन करेगा।

सुरक्षा संजाल संबंधी कार्यक्रमों में सुधार

- राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना
- बुआई संबंधी जोखिम को बीमे के अंतर्गत लाना
- बीमा से प्राप्त होने वाली राशि के भुगतान मे देर न होने देने का प्रावधान
- फसलों की पुष्पन अवस्था में पाले, चक्रवातों, अत्यधिक तापमान के कारण होने वाली क्षति को बीमे के अंतर्गत लाना
- मूल्य संबंधी जोखिमों में सुधार

कृषि जिंसों के मूल्यों में, विशेष रूप से कटाई उपरांत मूल्यों में, दिन–प्रति–दिन होने वाला उतार–चढ़ाव बहुत आम है। किसानों को इस प्रकार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए वर्तमान बाजारों में विद्यमान भंडारागार की सुविधाओं को सबल बनाया जाएगा व ग्रामीण क्षेत्रों में आर भंडारागार बनाए जाएंगे, ताकि किसान अपने उत्पाद की हताशा में बिक्री न करें। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए अद्यतन बाजार बुद्धिमत्ता के प्रावधान किए जाएंगे तथा सभी किसानों को मूल्यवर्धन श्रृंखला में शामिल करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

5.4.5 प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन

राज्य में छोटे पैमाने के कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि ये उपलब्ध अतिरिक्त पदार्थों को प्रसंस्कृत कर सके। इसके अतिरिक्त ये प्रसंस्करण इकाइयां सामान्य तौर पर उत्पादन केन्द्र से दूर शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण आधारित प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन तथा छोटे पैमाने के कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों को ग्रामों में ही स्थापित करने पर बल दिया जाएगा। उपलब्ध बुनियादी ढांचे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने और प्रसंस्करण की लागत को कम करने

के लिए व्यक्तिगत जिंसों/उत्पादों के स्थान पर बहु–जिंस/बहु–उत्पाद कृषि प्रसंस्करण परिसर/खाद्य पार्क विकसित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक उत्पादक को प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए उत्पादक कंपनियां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों के प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के लिए प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा वांछित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5.4.6 विपणन

विपणन कृषि की सफलता की कुंजी है। यह बाजार ही है जहां माल के मूल्य के बारे में निर्णय लिया जाता ह और किसानों का भाग्य निर्धारित होता है। उचित विपणन बुनियादी ढांचे, क्रियाविधियों, मूल्य निर्धारण, सूचना और कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम जैसे विनियमों की कमी किसानों को होने वाली कम आय और आर्थिक हानि के लिए उत्तरदायी घटक हैं। ऐसा विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाली जिंसों के मामले में और अधिक लागू होता है। अतः विपणन प्रणाली अधिक सशक्त व कुशल होनी चाहिए, ताकि किसानों व उपभोक्ताओं, दानों के हितों की रक्षा हो सके।

राज्य निजी तथा सहकारी बाजार स्थापित करेगा और किसानों को सीधी बिक्री की अनुमति देने के लिए कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करेगा। फलों, सब्जियों, पुष्पों, दूध और दुग्धोत्पादों, मात्स्यकी और कुक्कुट उत्पादों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित बाजार बुद्धिमत्ता से युक्त प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधाओं वाली शीत श्रृंखला से युक्त विशेषज्ञतापूर्ण आधुनिक मंडियां स्थापित की जाएंगी। राज्य प्रमुख फलों व सब्जियों, दूध, अंडों और मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके शीघ्र खराब होने वाले जिसों की आपूर्ति को उचित रूप से विनियमित करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा कि औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल बाजारों और उनकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ सम्बद्धता को स्थापित करने पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों द्वारा की जाने वाली हताशपूर्ण बिक्री से बचने के लिए गांवों के समूहों के आस–पास या गांवों में नाममात्र के मूल्य पर श्रेणीकरण और भंडारण सुविधाओं से युक्त उत्पाद संघनन केन्द्र राज्य की उच्च प्राथमिकता होंगे। खाद्य गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। खाद्य गुणवत्ता तथा श्रेणीकरण में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बेहतर व्यापार निष्पादन के लिए राज्य सभी सहकारिताओं को व्यावसायिक बनाने और प्रबंध निपुण बनाने का प्रयास करेगा। निवेशों तथा कृषि उत्पाद के विपणन और व्यापार के लिए कृषक संगठन जैसे सहकारिताएं,उत्पादक कंपनियां, स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। किसानों को सीधी बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायतू बाजार (आंध्र प्रदेश में), अपनी मंडी (पंजाब में) और शेतकारी बाजार (महाराष्ट्र में) की तर्ज पर किसान बाजारों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए उपयुक्त वित्तीय व अन्य बुनियादी सहायताएं जैसे श्रेणीकरण, भंडारण, राज्य परिवहन बसों में मुफ्त परिवहन, ठहरने की सुविधाएं आदि युक्त किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे। उचित दूरी/स्थानों पर विशेष रूप से उच्च मार्गों के किनारे, सड़क के किनारे लगने वाले बाजारों के विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य नियमों व विनियमों में वांछित

विपणन प्रणाली में सुधार

- सभी सुविधाओं से युक्त टर्मिनल बाजार जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े हों
- किसान बाजारों के माध्यम से किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री
- शीघ्र खराब होने वाली जिंसों के लिए विशेष बाजार
- गुणवत्ता नियंत्रण और सुनिश्चित भंडारण सुविधाएं
- राज्य के लिए प्रगतिशील 'एक्जिम' नीति
- बहु–जिंस कृषि–प्रसंस्करण परिसरों की स्थापना
- प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतियां

परिवर्तन करते हुए ठेके पर कृषि को प्रोत्साहित करेगा। राज्य अपने तथा किसानों के दीर्घावधि हित को ध्यान मे रखते हुए एक प्रगतिशील 'एक्जिम' नीति बनाएगा। राज्य गांवों/गांवों के समूहों में कम उपयोग में लाए गए अनाजों तथा चारों के बैंक द्वारा विपणन के लिए सामुदायिक खाद्यान्न बैंक स्थापित करेगा। विपणन प्रणाली को सबल बनाने के लिए राज्य उपयुक्त स्थानों पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बाजार बुद्धिमत्ता केन्द्रों की स्थापना करेगा, ताकि नियमित आधार पर अद्यतन विश्लेषण और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

5.4.7 कृषि अनुसंधान एवं विकास

कृषि अनुसंधान किसानों के उत्पादों की लाभदायकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार कृषि अनुसधान के लिए वित्तीय सहायता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे काफी बढ़ाना होगा (वर्तमान की तुलना में 3 गुना)। राज्य आबंटन के अतिरिक्त विपणन बोर्ड तथा गन्ना विभाग की निधि के कुछ भाग का उपयोग करते हुए कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष निधि सृजित की जाएगी। इसके अलावा योग्य मानव संसाधन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता भी अनुसंधान संस्थानों को चलाने की दृष्टि से कम है। यह तथ्य एक प्रमुख बाधा बनकर उभरा है। अतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सभी खाली पदों को यथाशीघ्र भरने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही नियमों और क्रियाविधियों को सरल बनाया जाएगा तथा और अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। एक निश्चित समय पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रासंगिक और मांग पर आधारित अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसंधान कार्यक्रम उचित रूप से सुधारे जाएंगे और इन्हें अधिक 'कृषक केन्द्रित' बनाया जाएगा तथा इनमें मुख्य ध्यान समेकित फार्मिंग प्रणालियों के दृष्टिकोण पर दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक कृषि जलवायु वाले क्षेत्र के लिए विभिन्न फार्म आकारों तथा खेती की स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। जैविक खेती, कम आयतन व उच्च मूल्य वालो फसलों जैसे औषधीय पौधों की खेती पर वांछित ध्यान दिया जाएगा। छोटी जोत के किसानों पर अधिक प्रभाव डालने के लिए नई–नई खोजों को स्थितियों के अनुकूल बनाने पर प्रमुख बल दिया जाएगा। जिन प्रौद्योगिकियों से निवेश उपयोग की बचत होती है और मूल्यवर्धन में सहायता मिलती है, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि संसाधनहीन किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कृषि विज्ञान केन्द्रों, 'आत्मा', राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा विकास अभिमुख अन्य कार्यक्रमों के संसाधनों के उपयोग और क्रियाकलापों को अभिमुख करने के लिए केन्द्र और राज्य, दोनों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाएंगे।

5.4.8 निवेश तथा शासन

पूरे विश्व में कृषि/कृषि अनुसंधान पर निवेश की सीमा आवश्यकता से कम है और हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि और अनुसंधान में निवेश को कृषि द्वारा जीडीपी में दिए जाने वाले योगदान के अनुसार बढ़ाना होगा। अगले 10 वर्षों में हरियाणा में कृषि अनुसंधान पर होने वाले निवेश को वर्तमान की तुलना में 3 गुना बढ़ाया जाएगा। राज्य में अनेक ऐसी विकास स्कीमें हैं जिनका लगभग समान लक्ष्य है। किसानों के अपने निवेशों को बढ़ावा देने तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले निवेशों को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल मूल्य एवं व्यापार परिस्थिति के माध्यम से अनुकूल वातावरण सृजित किया

बढ़ा हुआ निवेश तथा सुशासन

- विकास के लिए कृषि अनुसंधान हेतु बजट को तीन गुना करना तथा इसे कृषि जीडीपी द्वारा किए जाने वाले योगदान से जोड़ना
- किसानों के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन
- जिन योजनाओं के समान उद्देश्य हैं और जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं उन सभी विकास योजनाओं को जिला स्तर पर एक करना
- किसी भी परियोजना/कार्यक्रम को एकीकरण का कार्य किए बिना स्वीकृत न करना
- योजनाओं की निगरानी व उनके मूल्यांकन को उच्च प्राथमिकता देना
- खेत और परिवार से संबंधित सभी मामलों के लिए किसानों को केवल एक कृषि पासबुक जारी करना

जाएगा। जिन संसाधनों की कमी है उनकी इष्टतम उपलब्धता सुनिश्चित करन के लिए सभी विकास योजनाओं को एक साथ मिलाना होगा तथा राज्य के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। कोई भी कार्यक्रम/परियोजना तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक सभी योजनाओं की तुलना करते हुए समान योजनाओं को एक करने का कार्य पूरा नहीं हो जाता। वांछित या लक्षित निर्गत/परिणाम/क्षेत्रीय लाभ की दृष्टि से प्रत्येक योजना में सार्वजनिक धनराशि को खर्च करने के प्रति जवाबदेही व उसके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की निगरानी व उनके मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया जाएगा तथा जिन योजनाओं में अच्छा निष्पादन नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। किसानों को होने वाली असुविधा तथा परेशानी से बचाने के लिए भूमि रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी तथा किसानों को एक 'कृषि पासबुक' दी जाएगी जिसमें उनके परिवार, भूमि, मिट्टी के स्वास्थ्य, पशुधन, फार्म मशीनरी आदि का लेखा–जोखा होगा और जो किसान को खेती, अनुदान, ऋण, विपणन, बीमा आदि जैसे विभिन्न मुद्दों का हल सुझाएगी।

5.4.9 महिलाओं का सशक्तीकरण

महिलाएं राज्य की कुल कार्यशील कृषि जनसख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं और कृषि में उनका योगदान इससे कहीं अधिक है लेकिन उन्हें निर्णय लेने, आय के नियोजन/प्रबंधन/भागीदारी और यहां तक कि सम्पत्ति के स्वामित्व में वांछित महत्व भी नहीं दिया जाता है। अतः भूमि अधिकारों में उचित संशोधन करते हुए राज्य खेतिहर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतियों को बढ़ावा देगा। जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वे हैं : घर तथा कृषि भूमि, दोनों के लिए संयुक्त पट्टे और ऋण तथा अन्य सेवाओं/सहायता तक महिलाओं की पहुंच। प्रशिक्षण, शिक्षा तथा परंपरागत कलाओं और दस्तकारी को मान्यता प्रदान करके महिलाओं को उचित सम्मान देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

5.4.10 ग्रामीण फार्म इतर आय

विशेष रूप से बारानी स्थितियों में ग्रामीण फार्म इतर उद्यमों से होने वाली आय कृषि से होने वाली आय की लगभग 50 प्रतिशत है और धीरे–धीरे इसका हिस्सा बढ़ रहा है। सामान्य रूप से ग्रामीण फार्म इतर उद्यमों में शामिल है : श्रम, छोटे व्यापार (किराने की दुकानें), कढाई–बुनाई और दर्जीगिरी, मधुमक्खीपालन, केंचुआ पालन, ग्रामीण कला और दस्तकारी, दस्तकारी उत्पादों का विनिर्माण, रेशम कीटपालन आदि। चूंकि ये अधिकांशतः भूमि आधारित क्रियाकलाप नहीं हैं, अतः सरकार तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, विपणन सहायता, गुणवत्ता सुनिश्चितता आदि जैसी विधियों के माध्यम से इन क्रियाकलापों को सबल बनाने और इन्हें सहायता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देगी। ग्रामीण दस्तकारों को व्यवसाय में बने रहने तथा अपनी निपुणता को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे महत्वपूर्ण ग्रामीण सेवा प्रदानकर्ता के रूप में अपना योगदान देते रहे।

6. कार्यान्वयन के लिए भावी दिशा

किसी भी नीति का महत्व इसके प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन है। अतः राज्य का उद्देश्य कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखते हुए इस नीति को लागू करना है। निम्नलिखित कार्यनीतिपरक लक्ष्यों को भली प्रकार कार्यान्वित योजना के माध्यम से तेजी से प्राप्त किया जा सकता है:

कार्यनीतिपरक लक्ष्य

नियोजन और परिचालन में सम्मिलित मूल सिद्धांत जिन मुद्दों को सुनिश्चित करेंगे, वे हैं : पारिस्थितिक–क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में फार्मिंग प्रणाली दृष्टिकोण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुई प्रगतियों का उपयोग, छोटी जोत के किसानों पर विशेष बल देते हुए व्यावहारिक और मांग पर आधारित

अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना, क्षैतिज और उर्ध्व, दोनों दिशाओं में विविधीकरण, स्थानिक शक्तियों का उपयोग, चयनित यंत्रीकरण, मूल्यवर्धन, समर्थनकारी नीतियां, विश्वसनीय तथा कुशल आपूर्ति, सेवा तथा प्रदानीकरण प्रणाली, गहन प्रशिक्षण तथा निपुणता का उन्नयन, महिलाओं तथा युवाओं को कृषि कार्यों में लगाना तथा उनका सशक्तीकरण, सभी निवेशों का दक्षतापूर्ण उपयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा समय पर निगरानी व मूल्यांकन। कुछ सुलझाई गई विशिष्ट क्रियाविधियां निम्न हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नीति को कार्यान्वित करते समय नए लक्ष्यों सहित सुझाए गए सभी लक्ष्य जो समय–समय पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान में रखे जाएं।

इस नीति के कार्यान्वयन में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांत निम्न बिंदुओं पर केन्द्रित होने चाहिए :

1. सभी संबंधित संस्थाओं को एक साथ लात हुए व सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए कार्यक्रमों, सेवाओं, आपूर्तियों और समर्थन प्रणालियों पर जिला स्तर की तथा इससे निचले स्तर की समयबद्ध कार्य योजना; सुस्पष्ट लक्ष्यों को परिभाषित करना; जैसा वांछित है, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना/उन्हें गतिशील बनाना; और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बीच–बीच में आवश्यकतानुसार सुधार करते हुए कार्य योजना की निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रगति की समीक्षा;

2. पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीजों, कलमों, रोपण सामग्री, चारा, आहार, वीर्य, औषधियों, टीकों, उर्वरकों, पादप सुरक्षा संबंधी सुविधाओं, जल, बिजली, ऋण, तकनीकी ज्ञान और बाजार बुद्धिमत्ता की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना;

3. सकल उत्पादकता की बजाय प्रतिदिन/प्रति इकाई उत्पादकता पर बल देते हुए जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सर्वाधिक कारगर उपयोग को सुनिश्चित करना; और

4. अति उत्कृष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन सहायता उपलब्ध कराने, आधुनिक परामर्शदायी सेवाओं में विकास कर्मियों की निपुणता का निरंतर उन्नयन करने तथा सर्वश्रेष्ठ कृषि विधियों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सबल बनाना, ताकि राज्य में कृषि का त्वरित, टिकाऊ और समान विकास हो सके।

6.1 उत्पादकता अंतराल को कम करना

आनुवंशिक क्षमता, अग्र पंक्ति के प्रदर्शनों के अंतर्गत प्राप्त परिणामों तथा किसानों के खेतों में प्राप्त परिणामों के बीच जो अंतराल है उसे मिटाकर राज्य की कृषि उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख अनाज वाली फसलों में लम्बवत अंतराल 14 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के बीच अलग–अलग है। उपज में यह अंतराल मुख्यतः उचित प्रबंधन विधियों की कमी के कारण हैं। अतः उचित हस्तक्षेप करते हुए कार्यनीतिपरक भावी दिशा तय करके इन अंतरालों को कम करना होगा और हमें इस कृषि नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ना होगा। इस संदर्भ में कुछ कार्य बिंदु प्रस्तावित हैं जो निम्नानुसार हैं :

कार्य बिंदु

- प्रतिस्पर्धात्मक उपयोगों, जलवायु परिवर्तन, फसल प्रणाली, मृदा के स्वास्थ्य, जल उपलब्धता, टी एफ पी में गिरावट आदि को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ढंग से भूमि उपयोग नियोजन को अपनाना;
- संकर/गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन में सार्वजनिक–निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा उचित तकनीकी ज्ञान/सहायता के माध्यम से बीज ग्रामों का निर्माण करना;
- उपयुक्त पर्यावरण सृजित करत हुए अधिक से अधिक भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करके उन्नत बीजों/यंत्रों व औजारों, छोटे फार्म उपकरणों व मशीनरी का उत्पादन, परीक्षण और वितरण/बिक्री;

- विविधीकरण पर विशेष बल देते हुए समेकित फार्मिंग प्रणालियों की कार्यशील इकाइयों को सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न फसलों में स्थानिक तथा क्षेत्रीय लाभ उठाने के लिए अंतरफसलन/बहुफसलन प्रणाली को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करने/स्थिर करने के लिए चुने हुए क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना;
- प्रत्येक जिला मुख्यालय में परीक्षण/प्रमाणीकरण सेवाओं/महत्वपूर्ण निवेशों के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी में स्थानिक उत्पादों, सहकारी क्षेत्र, स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय महाविद्यालयों, ज्ञान तथा संचार केन्द्रों की स्थापना करना;
- तेजी से प्रयोगशाला से खेत तथा खेत से प्रयोगशाला की गतिविधियों को बढ़ावा देना और कृषक खेत विद्यालयों (खेतिहर महिलाओं पर विशेष बल देते हुए) की स्थापना और आईएफएस के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना, मूल्यवर्धन, विशेष रूप से चैंपियन किसानों को शामिल करते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन क्रियाविधियों का उपयोग करना। देखकर सीखने के लिए किसानों तथा विकास कर्मियों के लिए सफलता की कहानी वाले स्थलों पर दौरों व भ्रमणों का आयोजन करना;
- विशेषज्ञतापूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एजेंटों के संजाल के माध्यम से बेहतर कस्टम हायर सेवाएं सुनिश्चित करना;
- मृदा परीक्षण विश्लेषण के आधार पर पादप पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग। इसके लिए सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे।

6.2 पशुधन विकास पर विशेष बल

भैंसों, गोपशुओं, कुक्कुटों, मछलियों और डेरी क्षेत्र से संबंधित प्रगतिशील नीतियों पर संतुलित बल देते हुए पशुधन के क्षेत्र में वर्तमान वृद्धि दर को और बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय नस्लों, जैसे मुर्रा, हरियाणा और साहीवाल के आनुवंशिक सुधार पर बल देने के अलावा दूध के उत्पादन को बढ़ाकर इनका लाभ उठाया जाना चाहिए जो इन नस्लों की विशेषता है। इसके साथ ही मुर्रा भैंस के दूध से मोजरेला चीज़ के उत्पादन द्वारा दुग्धोत्पादन का मूल्यवर्धन किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ प्रबंधन तथा आहार और चारे के संसाधनों में सुधार करके पशुधन क्षेत्र की वृद्धि दर को और तेज किया जा सकता है।

6.2.1 पशुधन विकास के लिए कार्य बिंदु

- फील्ड पशुओं के प्रजनन के लिए प्रमाणित वीर्य का उपयोग किया जाना चाहिए और केवल संतति परीक्षित प्रजनन सांडों को ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए नेटवर्किंग आधार पर गौशालाएं स्थापित की जानी चाहिए;
- मुर्रा भैंसों व साहीवाल गाय जैसे श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं के तेजी से प्रगुणन के लिए भ्रूण हस्तांतरण और मार्कर सहायी चयन जैसी आधुनिक जैवप्रौद्योगिकीय युक्तियों को अपनाया जाना चाहिए;
- 20 लिटर से अधिक दूध देने वाली नस्ल के संरक्षण व आनुवंशिक सुधार के लिए मुर्रा भैंस पजनकों को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए;
- पृथक डेरी, भेड़ और बकरी आंचल अधिसूचित किए जाने चाहिए। सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण मेवात क्षेत्र मांस उत्पादन का एक श्रेष्ठ मंच साबित हुआ है। अतः बकरों, भेड़ों और भैंसों (नरों) का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ मांस उत्पादों की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए इसके लिए आधुनिक वध गृह तथा अन्य सम्बद्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे सृजित किए जाने चाहिए। राज्य के कुछ अन्य भागों को भी डेरी आंचल घोषित किया जाना चाहिए;
- घर के दरवाजे पर प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के लिए नैदानिक सुविधाओं सहित पशु चिकित्सा सेवाओं को सचल बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलीक्लिनिक होना चाहिए। इसके साथ ही रोग अन्वेषण, पूर्वानुमान व भविष्यवाणी पणाली को सबल बनाया जाना चाहिए;

- खुरपका व मुंहपका रोग के टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता की कहानी को अन्य रोगों जैसे ब्रूसेलॉसिस, एचएस और पीपीआर आदि के मामले में भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि पशुओं की रोगों से होने वाली आर्थिक क्षति को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके;
- पशुपालन विभाग में एक निश्चित उत्तरदायित्व सहित चारा बीजोत्पादन तथा वितरण के लिए एक विशेष चारा विकास कोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए;
- पशुपालन/डेरी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए अलग से संवर्ग/पद सृजित किए जाने चाहिए;
- डेरी फार्मिंग को लाभदायक उद्यम बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए : जैसे आहार और आहार घटकों से वैट को हटाना, छोटी तथा मझोली डेरी के संयंत्रों के लिए बिजली की दरों को कृषि के लिए लागू बिजली की दरों के समतुल्य लाना, ऋण पर ब्याज की दर कम करना (3–4 प्रतिशत), छोटे डेरी उपकरणों पर कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान, खनिज मिश्रणों का उत्पादन और आपूर्ति, सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चारे और पशु टीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए;
- डरी पशुचिकित्सा विद्यालय को व्यावसायिक तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल देना चाहिए ताकि पशुधन और डेरी क्षेत्रों के लिए निपुण व पशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके; और चूंकि 'बुल मदर फार्म' तैयार करना/स्थापित करना महंगा है, अतः पशुधन विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

6.2.2 मात्स्यकी विकास के लिए कार्य बिंदु

- मत्स्य पालन के लिए प्राकृतिक आपदा सहायता उसी प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिए जैसी फसलों के मामले में उपलब्ध कराई जाती है;
- जलजंतुपालन के विकास के लिए जल कायायों की वृहत पट्टेदारी नीति की आवश्यकता है। पालने योग्य प्रजातियों के लिए ब्रूड बैंकों की स्थापना तथा स्फुटनशालाओं या हैचरियों के सृजन और पालन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मछली जीरे की पर्याप्त उपलब्धता व उसका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मछली चारे को उपलब्ध कराना;
- सभी स्थलों पर मानव संसाधन का विकास तथा पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत मात्स्यकी विभाग/मात्स्यकी महाविद्यालय की स्थापना;
- राज्य में कृषि जैवविविधता के संरक्षण के लिए समेकित प्रयास करना; और
- सी–बास, टिलेपिया आदि जैसे उच्च उत्पादन देने वाले मत्स्य स्टाकों पर विशेष बल देकर मत्स्य पालन में विविधीकरण और इसके साथ ही अतिरिक्त आय के लिए अलंकारिक मात्स्यकी को बढ़ावा देना।

6.3 प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता में सुधार

राज्य में कुछ अच्छे कृषि प्रसंस्करण उद्योग हैं जिनमें से अधिकांशतः शहरों के आस–पास हैं। राज्य में ग्रामीण आधारित कम लागत के छोटे पैमाने के कृषि उद्योगों की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों का उनके स्थल पर ही प्रसंस्करण किया जा सके। इससे न केवल फसलों की कटाई के उपरांत होने वाली हानियां कम होंगी बल्कि अति वांछित ग्रामीण रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होंगे। अतः एक निश्चित समय म बहूद्देशीय कम लागत वाले ग्रामीण आधारित कृषि प्रसंस्करण परिसरों/पार्कों के सृजन पर बल देने की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों के स्वयं सहायता समूह/सहकारिताएं/उत्पादक कंपनियां स्थापित की जानी चाहिए जिसके लिए वांछित ऋण, सरकारी नीतियों/प्रोत्साहनो और परस्कारों का प्रावधान विशिष्ट क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया जाना चाहिए।

कार्य बिंदु

- फलों, सब्जियों, डेरी, मात्स्यकी और कुक्कुटों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के मोड में ग्रामीण क्षेत्रों/उत्पादन क्षेत्रों में उचित स्थानों पर प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन केन्द्रों की स्थापना;

- बड़े शहरों/बाजारों के निकट बहु–जिंस प्रसंस्करण इकाइयों से युक्त कृषि प्रसंस्करण पार्कों/कृषि प्रसंस्करण परिसरों की स्थापना;
- खाद्य गुणवत्ता परीक्षण और पादप–स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित करना;
- किसानों को उनके प्रसंस्कृत उत्पादो को बेचन में सहायता पहुंचाना; और
- कृषि उत्पादों के प्राथमिक और गौण प्रसंस्करण के लिए निपुणता विकास हेतु, विशेषकर खेतिहर महिलाओं के लिए, विशेष कार्यक्रम चलाना।

6.4 बाजार संबंधी सुधार

आधुनिक विपणन बुनियादी ढांचे की कमी तथा कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए वर्तमान प्रतिबंध किसानों को होने वाली कम आय, विशेषकर शीघ्र खराब होने वाले जिंसों के मामले में, के प्रति उत्तरदायी महत्वपूर्ण घटक हैं। अतः विपणन प्रणाली को और अधिक कारगर तथा किसानों व उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाना होगा। इसक लिए एक निश्चित समय–सीमा में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देते हुए बाजार संबंधी सुधारों के लिए कार्य नीति विकसित करने की आवश्यकता है :

कार्य बिंदु

- मूलतः बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए निधियों का उपयोग होना चाहिए और फलों व सब्जियों की बिक्री को विकेन्दित/विसम्बद्ध करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में तत्काल नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए और इसके द्वारा अनुसंधान सहायता तथा प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने के लिए संसाधनो का निर्धारण किया जाना चाहिए;
- जिंस आधारित सहकारिताओं, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक कंपनियों के निर्माण को प्रोत्साहन देना;
- टर्मिनल बाजारों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाना, परिवहन, भंडारण, भंडारागारों की उपलब्धता, व ईमानदार और आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्पन्न विपणन/व्यापार संबंधी सुविधाएं तैयार करना;
- सफाई, श्रेणीकरण, पैक गृहों, शीत श्रृंखला और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी सुविधाओं से युक्त ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक 10 कि.मी. के दायरे में प्राथमिक बाजारों की स्थापना;
- उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए फुटकर विपणन तथा कियास्कों को सबल बनाना;
- उचित स्थान और दूरी पर सड़क के किनारे ऐसे बाजारों की स्थापना जहां किसान अपने उत्पाद सीधे–सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके;
- सभी स्तरों पर समर्थनपूर्ण बाजार व बाजार बुद्धिमत्ता से युक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विपणन परामर्शदायी केन्द्रों के प्रावधान सहित किसानों और प्राथमिक उत्पादकों की इस सूचना तक सरल पहुंच की व्यवस्था करना;
- राज्य स्तर पर सरल प्रमाणीकरण के लिए बीआईएस की तर्ज पर हरियाणा मानक ब्यूरो (एचबीएस) की स्थापना करना;
- हरियाणा में वांछित लॉजिस्टिक सहायता जैसे वातानुकूलित बाजार आर प्रशीतलित परिवहन की सुविधाओं से युक्त उपयुक्त/कार्यनीतिपरक स्थानों पर मछलियों, कुक्कुटों, दूध और पशु उत्पादों, मसालों, पुष्पों और औषधीय पौधों, फलों व सब्जियों के लिए विशेष बाजारों की स्थापना।
- दीर्घावधि परिदृश्य में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'एपिडा' के समान राज्य में एक अति उत्कृष्ट **हरियाणा व्यापार केन्द्र** स्थापित करना; और
- कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए इमारती लकड़ी के बाजार की स्थापना।

6.5 कृषि में जोखिम प्रबंधन

कृषि के समक्ष अनेक जोखिम तथा अनिश्चितताएं ह। कृषि एकमात्र ऐसा उद्यम है जिसके उत्पादन व लाभदायकता में प्रकृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मिशन मोड दृष्टिकोण को अपनाते

हुए एक निश्चित समय–सीमा में व्यापक श्रेणी के मूल्य उतार–चढ़ावों और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता है।

कार्य बिंदु

- जलवायु की चुनौतियों को सह सकने वाली कृषि पर अनुसंधान को सबल बनाना;
- परंपरागत ज्ञान का प्रलेखन तथा उसे आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर दोनों का सम्मिलित उपयोग;
- अतिरिक्त वर्षा/बाढ़ वाले जल को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ना तथा जल संरक्षण पर निवेश करना;
- सभी फसलों व पशुओं से होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान बीमा योजना का विस्तार तथा उसे सबल बनाना;
- मौसम संबंधी भविष्यवाणी और जलवायु सेवा प्रणाली का सबलीकरण;
- फसलों और पशुधन में रोगों के प्रकोप की चौकसी एवं निगरानी के लिए सुविधाएं; और
- केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का लाभ उठाने के अतिरिक्त प्रमुख कृषि उद्यमों के लिए राज्य बीमा योजना को आरंभ करना।

6.6 संस्थागत सुधार, नीतियां एवं शासन

कृषि शासन प्रणाली को इसकी दक्षता व कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए 'द्वितीय पीढ़ी' की समस्याओं से निपटने के लिए उचित उपाय करने होंगे। अतः प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए नीति, संस्थागत और प्रबंध संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करना होगा। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को एक करने के लिए क्रियाविधि विकसित की जाएगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी विभागों और मंत्रालयों के विकास संबंधी क्रियाकलापों में प्रभावी एकरूपता व समग्रता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वयन समिति गठित की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए निम्न कार्य बिंदु वांछित होंगे :

कार्य बिंदु

- कृषि विपणन मंडल तथा गन्ना विकास उप कर निधि के संसाधनों से कृषि अनुसंधान निधि का सृजन;
- नवीनताओं/उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए किसानों, वैज्ञानिकों, विकास कर्मियों के लिए प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की शुरूआत;
- सभी निर्णय संबंधी निकायों में अनुभवी व प्रगतिशील किसाना का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना;
- राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मात्स्यकी विभागों के अधिकारियों/स्टाफ का आवधिक क्षमता निर्माण तथा किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत;
- नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा आदि के अंतर्गत पहलों से संबंधित अन्य विकास के प्रयासों के लिए जिला स्तरीय नियोजन में समरूपता को अपनाना;
- कृषि एवं कृषि से संबधित विभाग (कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन) एक विशेष तकनीकी विषय से संबध रखते है अतः उनके विभाग अध्यक्ष विशेष तकनीकी विषय से होंगे।
- उपकरणो तथा फार्म मशीनरी की खरीद के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के लिए आबंटनों को बढ़ाना। भविष्य में ऋणों को माफ करने की बजाय उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो अपने ऋण समय पर अदा करते हैं;
- सभी अनुदानों को सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कराने का प्रावधान करना;

- बाजार परिवर्तनों, पानी और बिजली के टैरिफ, कारगो प्रभारों तथा फसलों, बागवानी, मात्स्यकी, पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में अन्य करों का अनुपातीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- भूमि के उचित उपयोग तथा वांछित भूमि अधिगहण के लिए मूल्यांकन हेतु भूमि उपयोग नियोजन एवं विकास मंडल की स्थापना;
- ठेके पर खेती के लिए कानून बनाना और कंपनी अधिनियम को बढ़ावा देना। इसके साथ ही कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में सुधारों की भी आवश्यकता है;
- मृदा की स्थिति को सुधारने के लिए फसल अपशिष्टों के उपयोग और कार्बनिक पुनश्चक्रण के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, संरक्षण कृषि संबंधी कार्यों का उपयोग करके इसे अधिक से अधिक क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए पर्यावरणीय सेवाओं हेतु क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहनों का प्रावधान किया जाना चाहिए;
- कुछ सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा विशेष रूप से उन सब्जियों के लिए किया जाना चाहिए जो बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं;
- विकास से जुड़ी सभी योजनाओं और उनसे संबंधित सभो पहलुओं का लाभ उठाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता का सृजन; और
- स्थानीय भाषा का उपयोग करते हुए सूचना एवं संचार प्रणाली को सबल बनाना तथा मीडिया को कृषि को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

6.7 पारिस्थितिकी, जैवविविधता, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

टिकाऊ कृषि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि, उच्च उत्पादन और कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा में इस पहलू की सामान्यतः उपेक्षा कर दी जाती है। राज्य की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा, विकास तथा इसके प्रबंध के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी, ताकि समग्रता में उच्च उत्पादन, लाभदायकता और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में सुझाए गए कार्य बिंदु निम्नानुसार हैं :

कार्य बिंदु

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की स्थान विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए बहु–विषयी वैज्ञानिक दलों से युक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को सबल बनाना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध/पर्यावरणीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना;
- पाठ्यक्रमों में संशोधन व उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का निर्माण करना;
- फसल क्रम में फलीदार फसलों को शामिल करते हुए कार्बनिक खादों, जैव–उर्वरकों, हरी खादों के उपयोग के साथ–साथ मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर समेकित पोषक तत्व सहित पादप पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना;
- सम्पूर्ण जलसंभर प्रबंधन को अपनाते हुए वर्षा जल के संरक्षण व उपयोग के लिए सभी प्रयास करना और इनके लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान करना;
- संरक्षण कृषि तथा फार्मिंग प्रणालियो के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना;
- फसलों में आप्लावन सिंचाई अथवा गीली जुताई वाले चावल में खेत में पानी खड़े रखने पर प्रतिबंध लगाना/इसे निरुत्साहित करना;
- लेज़र भूमि समतलीकरण; ड्रिप, स्प्रिंकलर और कूंड़ सिंचाई के साथ ही जल को बचाने वाली अन्य युक्तियों को बढ़ावा देना;
- समस्याग्रस्त मिट्टियों तथा जल वाली स्थितियों के अंतर्गत कृषि वानिको, मछली पालन और जैव–जलनिकासी को बढ़ावा देना;

- सिंचाई के लिए औद्योगिक बहिर्स्रावों, मल–जल तथा अन्य समस्याग्रस्त जलों को उपचारित करके प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति को उभारना;
- बाढ़ अथवा अतिरिक्त वर्षा वाले जल को पुनर्भरण के लिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में ल जाना या जल संग्रहण के लिए उपयोग में लाना;
- पर्यावरण मित्र पशु/प्राणी जातियों को पहचानने व उन्हें बचाने के लिए प्रोत्साहन तथा इस संबंध में विद्यालयों/पंचायतों/संस्थागत स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम आरंभ करना;
- ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों (भू, जैव, पवन, सौर, भूतापीय) के समेकित व सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने तथा इनकी युक्तियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना और इस संबंध में ऊर्जा की कुल आवश्यकता के लगभग 15 से 20 प्रतिशत भाग की पूर्ति गैर–परंपरागत स्रोतों से की जाए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना;
- पशुधन की देसी नस्लों के संरक्षण, लक्षण–वर्णन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन देना; और
- नई सिंचाई परियोजनाओं के शुरू होने के पूर्व वर्तमान में चल रही सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना तथा सृजित व प्रयुक्त सिंचाई क्षमता पर डेटाबेस को अद्यतन करते हुए सिंचाई परियोजनाओं की नियमित निगरानी को बढ़ावा देना।

6.8 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार कृषि का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान है। विकासशील देशों में निवनीकरण के बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाला योगदान बढ़कर 26–35 प्रतिशत तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि में गीली जुताई करके उगाए गए धान तथा पशुधन (गोपशु और भैंसें) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत हैं। कृषि के जलवाय परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए समयबद्ध उपचारात्मक उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

कार्य बिंदु

- संरक्षण कृषि, जल संरक्षण, नाइट्रोजनी उर्वरकों के कारगर उपयोग चावल की सीधी बीजाई/अवायवीय चावल आदि जैसी विधियों को अपनाते हुए श्रष्ठ कृषि विधियों को अपनाना;
- समान फसलों की विभिन्न किस्मों की रोपाई, रोपाई की तिथियों में परिवर्तन और कम अवधि या मौसमों में उगने वाली फसलों को उगाना;
- सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना;
- बाढ़, उच्च ताप, पाले और सूखे की सहिष्णु किस्मों के विकास तथा उनके प्रसार–प्रचार पर अनुसंधान;
- कारगर जलवायु सेवाएं, मौसम की भविष्यवाणी और आकस्मिक नियोजन के साथ–साथ फसल की मॉडलिंग;
- वनों के कटने या निर्वनीकरण पर नियंत्रण तथा कृषि वानिकी/ कृषि बागवानी को बढ़ावा देना;
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए रोमंथी पशुधन के पोषण एवं चारा प्रबंध में सुधार; और
- कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना और परिवर्तित होती हुई जलवायु के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाने वाली कृषि को अपनाने के लिए निम्न ब्याज दर पर ऋण।

6.9 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का पुनर्अभिमुखीकरण

खाद्य और पोषण सुरक्षा, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व उनका टिकाऊ उपयोग, वैश्वीकरण तथा कृषि व्यापार प्रबंध, कटाई उपरांत प्रसंस्करण, भंडारण एवं मूल्य वर्धन, जैव ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन की उभरती हुई चुनौतियों के संदर्भ में कृषि अनुसंधान और

शिक्षा के पुनर्अभिमुखीकरण तथा इसमें प्राथमिकता के पुनः निर्धारण की बहुत आवश्यकता होगी। कृषि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक बनाया जाएगा तथा जैवप्रौद्योगिकी, नैनो–प्रौद्योगिकी, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, कृषि–मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आदि जैसे क्षेत्रों पर और अधिक बल दिया जाएगा। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं में उद्यमशीलता और व्यावसायिक क्षमता के निर्माण के विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षणों का प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं में कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के प्रति रुचि सृजित करने के लिए विद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कृषि अनुसंधान को परियोजना अभिमुख बनाने के स्थान पर और अधिक मांग आधारित तथा प्रासंगिक बनाया जाएगा, ताकि राज्य के छोटी जोत वाले किसानों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित हो सके।

कार्य बिन्दु

- अति उन्नत व अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों पर बल देते हुए कृषि पाठ्यक्रम का पुनर्अभिमुखन
- भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम मानव संसाधन का निर्माण। व्यावसायिक क्रियाकलापों तथा उद्यमशील निपुणताओं पर और अधिक बल दिया जाएगा।
- विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान का ज्ञान कराना अनिवार्य किया जाएगा।
- शिक्षा की लैण्ड ग्रांट प्रणाली की समीक्षा करते समय विदेशों के अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में हुए नवीनतम विकासों को ध्यान में रखा जाएगा तथा सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित करके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में वांछित विशेषज्ञता सुनिश्चित की जाएगी।
- विशिष्ट फसलों तथा जिन्सों में आवश्यकता आधारित तथा मांग से संचालित अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिसके लिए राज्य को कुछ खास महत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है (उदाहरण के लिए बासमती चावल, मुर्रा भैंस, ग्वार आदि) तथा कम आयतन और उच्च मूल्य वाली फसलों से किसानों को अधिक आय सुनिश्चित की जाएगी।
- संकर अनुसंधान, संरक्षण कृषि, धान की सीधी बिजाई, अन्तरफसलन, कटाई उपरांत प्रबंध, मूल्यवर्धन, जैव ऊर्जा, घटिया गुणवत्तापूर्ण जल के कुशल उपयोग, बीज प्रौद्योगिकी, सुरक्षित खेती आदि पर अधिक बल दिया जाएगा।
- वांछित संस्थाओं को सबल बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा कृषि मानव संसाधन विकास पर आबंटित होने वाली धनराशि को तीन गुना बढ़ाया जाएगा।
- कृषि विश्वविद्यालयों को उचित जवाबदेही सहित वित्तीय तथा कार्यशील स्वायत्ता प्रदान की जाएगी तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान अनुदान हेतु अनुसंधान विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की जाएगी।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए वांछित प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का विश्वास है कि इस राज्य कृषि नीति को समाज के सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य की वार्षिक कृषि वृद्धि दर 4 प्रतिशत से अधिक होगी। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी संभावित प्रयास किए जाएंगे, ताकि हरियाणा के किसानों की आय और लाभ में बढ़ोतरी सुनिश्चित हा सके और उनकी आजीविका में सुधार आए। इस नीति में कार्यनीतिपरक विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भावी दिशा तय करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत कार्रवाई आरंभ की जाएगी और वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।